भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में स्वचालन की कार्यप्रणाली

संघ सरकार

राजस्व विभाग

अप्रत्यक्ष कर – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर

2015 की प्रतिवेदन संख्या 46

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	**i**
कार्यकारी सार	**iii**
अध्याय 1 : प्रस्तावना	**1-5**
1.1 पृष्ठभूमि	1
1.2 संगठनात्मक ढांचा	2
1.3 एसीईएस की कार्यप्रणाली की संरचना और स्थिति	3
1.4 हमने यह यह विषय क्यों चुना	3
1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और चयन	4
1.7 लेखापरीक्षा कवरेज	4
1.8 आभार	5
अध्याय 2 : सिस्टम डिजाईन	**7-19**
2.1 प्रणाली मुद्दे	7
2.2 व्यवसाय प्रक्रियाओं की पुनर्रचना	13
अध्याय 3 : मॉड्यूलों पर अभयुक्तियां	**21-51**
3.1 एक्सेस नियंत्रण लॉजिक	22
3.2 पंजीकरण (आरईजी)	26
3.3 रिटर्न (आरईटी)	29
3.4 अनंतिम निर्धारण (पीआरए)	34
3.5 निर्यात (ईएक्सपी)	35
3.6 प्रतिदाय (आरईएफ)	37
3.7 दावे और सूचना	40
3.8 रिपोर्ट (आरईपी)	43
3.9 विवाद समाधान प्रस्ताव (डीएसआर)	45
3.10 लेखापरीक्षा	47
3.11 मोड्यूल्स पर सामान्य निष्कर्ष	51

विषय	पृष्ठ
अध्याय 4 : जागरूकता और मूल्यांकन	**53-59**
4.1 प्रशिक्षण	53
4.2 संगोष्ठियां/कार्यशालाएं	54
4.3 एसीईएस की कार्यप्रणाली	54
4.4 श्रम घंटे बचत का मूल्यांकन	55
4.5 प्रतिक्रियाएं	56
4.6 निष्कर्ष	58
संकेताक्षर	**61-63**

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर में स्वचालन की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित है और इसमें दिसम्बर 2008 से जून 2014 की अवधि शामिल है। जहाँ भी आवश्यक था परवर्ती या पूर्व की अवधि के मामलों को भी शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वह हैं जो 2014-15 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड एवं इनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करना चाहती है।

कार्यकारी सार

हमने यह जानने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की कि क्या विभाग द्वारा विकसित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में स्वचालन (एसीईएस) के उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं। हमने बोर्ड के क्षेत्रीय संगठनों में एसीईएस के उपयोग की सीमा की भी जांच की। महानिदेशक सिस्टम और डाटा प्रबन्धन के कार्यालय के अलावा 40 चयनित कमिश्नरियों में निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में एसीईएस की कार्यप्रणाली के साथ-साथ अनुपालन मामलों दोनों से संबंधित कुछ अपर्याप्तताओं का पता चला।

क. एसीईएस में निर्मित जोखिम मापदण्डों के आधार पर विस्तृत संवीक्षा के लिए विवरणियों के चयन का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, रिटर्न मॉड्यूल में चयनित विवरणियों की समीक्षा के लिए समय-सीमा नहीं डाली गई थी।

(पैराग्राफ 2.1.3 और 2.1.4)

ख. एसीईएस में किसी दस्तावेज को अपलोड/एटैच करने का कोई प्रावधान नहीं था और डिजिटड हस्ताक्षर के लिए भी कोई प्रावधान नहीं था।

(पैराग्राफ 2.1.6 और 2.1.8)

ग. चयनित 40 कमिश्नरियों में से 33 कमिश्नरियों में विधिक, अधिनिर्णयन, निवारक/अपवंचन रोधी विंग इत्यादि की भूमिका का खाका नहीं बनाया गया था और इन्सपेक्टर स्तर के अधिकारियों को भी कोई ऐक्सेस प्रदान नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.2.3 और 2.2.4)

घ. हमने देखा कि एसीईएस में हितधारकों द्वारा दस मोड्यूल्स में से केवल तीन मोड्यूल (एक्सेस कन्ट्रोल लोजिक, पंजीकरण और रिटर्न) का उपयोग किया जा रहा है।

(अध्याय 3)

ङ. हमने देखा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के लिए बड़ी संख्या में रिटर्न्स को छोटी त्रुटियों के कारण पुनरीक्षा और सुधार के लिए चिन्हित किया जा रहा है जिसे उचित /मजबूत सत्यापन द्वारा सम्बोधित किया जा सकता है।

(पैराग्राफ 3.3.3)

च. हमने देखा कि एसीईएस की विषम उपयोगिता का एक मुख्य कारण प्रशिक्षण /संगोष्ठियां/कार्यशालाओं का आयोजन न किया जाना है।

(पैराग्राफ 4.1 और 4.2)

छ. हमने देखा कि एसीईएस के कार्यान्वयन के पांच वर्षों के बाद भी, एसीईएस की कोई पश्च कार्यान्वयन समीक्षा नहीं करवाई गई थी।

(पैराग्राफ 4.6)

सिफारिशों का सार

1. एसीईएस में कर्मचारियों की मैपिंग के संबंध में अपनाई गई जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि श्रम दिवस बचाए जा सके जो एसीईएस में कार्य भूमिका सौंपने की अवधि के दौरान अप्रयुक्त रह जाते हैं।

2. एसीईएस के एक भाग के रूप में देयताओं को आफलाइन उपलब्ध करवा कर बकाया देयताओं से परित्यक्त आवेदनों के संसाधन तक पूर्ण लिकिंग के लिए प्रावधान प्रारंभ किया जा सकता है।

3. मंत्रालय के दो दिनों में पंजीकरण देने की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत पंजीकरण प्रमाण पत्रों को जारी करने में विलम्ब से उभरने के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन को तुरन्त पूरा करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना चाहिए।

4. आवश्यक सूचनाओं के लिए इलैक्ट्रानिक फाइलिंग को अनिवार्य किया जा सकता है जैसे इनवायस बहियां और रिकार्ड अनुरक्षण और एसटी के लिए भी सीएलआई मोड्यूल आरंभ किया जा सकता है ताकि

निर्धारितियों का विभागीय अधिकारियों के साथ इन्टरफेस अन्तत: कम हो सके।

5. यह देखते हुए कि एसीईएस पांच वर्षों से अधिक के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, सभी मोड्यूलों को संचालित करने के लिए सिस्टम को पुनर्गमन/अद्यतन करने की आवश्यकता है ताकि एसीईएस से अपेक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली सृजित हो सके।

6. विभाग/निर्धारितियों द्वारा अनांतिक मूल्यांकन, निर्यात, प्रतिदाय, दावों और सूचनाओं, विवाद निपटान प्रस्ताव और लेखापरीक्षा मोड्यूलों के काफी कम/आंशिक उपयोग के दृष्टिगत, विभाग सभी मोड्यूलों के प्रयोग की समीक्षा कर सकता है और सिस्टम को उपयोक्ता अनुकूल और परिणाम उन्मुख बनाने के लिए बाधाओं को पहचानने और हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

7. विभाग कर्मचारियों को आवश्यकता आधारित और संरचित प्रशिक्षण प्रदान करने और निर्धारितियों के लिए जागरूकता संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए नीतिगत योजना बन सकता है और उसी आवधिक रूप से समीक्षा कर सकता है।

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा एक ई-गर्वनेंस पहल है। यह भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के अंतर्गत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। यह एक साफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका लक्ष्य भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में करदाता सेवाएं, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और दक्षता में सुधार है। यह एप्लीकेशन वेब आधारित और वर्कफ्लो आधारित प्रणाली है जिसने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सीएक्स) और सेवा कर (एसटी) में सभी मुख्य प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है।

एसीईएस एप्लीकेशन को दिसम्बर 2008 में बैंगलुरू में बड़ी करदाता इकाई (एलटीयू) कमिश्नरी में प्रारंभ किया गया और बाद में पूरे भारत में चरणों में कार्यान्वित किया गया था।

इस पहल का उद्देश्य व्यवसायिक प्रक्रियाओं को पुन: बनाना और मौजूदा कर प्रशासन को आधुनिक, दक्ष और पारदर्शी प्रणाली में परिवर्तित करना और व्यापार सुविधा और प्रवर्तन के बीच इष्टतम संतुलन कायम करना और स्वैच्छिक अनुपालन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना था। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के साथ निर्धारिती का प्रत्यक्ष इंटरफेस कम करना और स्वचालित प्रक्रियाके माध्यम से दी गई उन्नत करदाता सेवाओं के साथ पारदर्शी और कागज रहित व्यवसायिक माहौल प्रदान करना है।

एसीईएस एप्लीकेशन का इंटरफेस सीएक्स और एसटी निर्धारितियों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों के लिए है। इसमें सीएक्स और एसटी की मुख्य प्रक्रियाओं जैसे पंजीकरण, रिटर्न, लेखाकरण, प्रतिदाय, विवाद निपटान प्रस्ताव, लेखापरीक्षा, अनंतिम निर्धारण, निर्यात, दावे, सूचनाएं और अनुमतियों को स्वचालित करने का प्रावधान है।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित सीबीईसी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है। यह सीमाशुल्क, सीएक्स शुल्क और एसटी के उद्ग्रहण और संग्रह, तस्करी रोकने और सीमाशुल्क, सीएक्स, एसटी और मादक पदार्थों से संबंधित मामलों के प्रशासन से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करता है। बोर्ड सीमा शुल्क हाऊसस, सीएक्स और एसटी कमिश्नरियों और केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है।

महानिदेशक कार्यालय (सिस्टमस और डाटा प्रबन्धन) (डीजी(सिस्टम)) सीबीईसी का एक अधीनस्थ कार्यालय है जो एसीईएस परियोजना के डिजाइन विकास, प्रोग्रामिंग, जांच, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। निदेशालय की अध्यक्षता महानिदेशक (सिस्टम और डाटा प्रबन्धन) द्वारा की जाती है और मुख्यालय में अपर महानिदेशक द्वारा सहायता की जाती है। इसी प्रकार, कार्यकारी स्तर पर, सीएक्स और एसटी के मुख्य उपायुक्त और उनके क्षेत्रीय संगठन एसीईएस की वास्तविक उपयोगिता के लिए उत्तरदायी है।

चार्ट 1

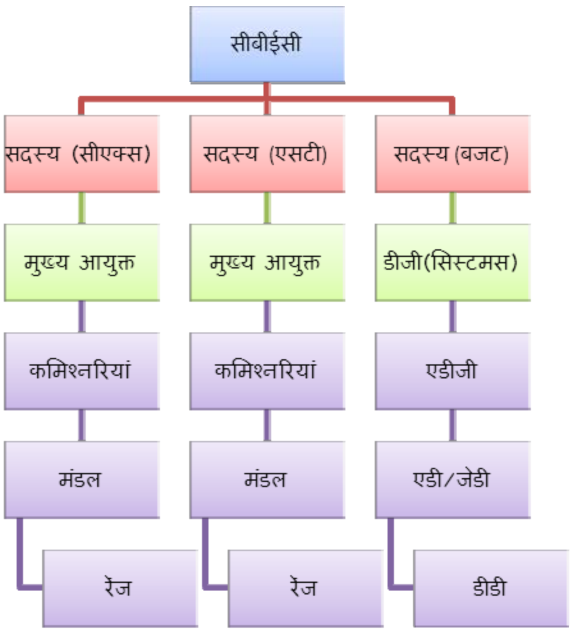

1.3 एसीईएस की कार्यप्रणाली की संरचना और स्थिति

एसीईएस एप्लीकेशन केन्द्रीकृत, वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित सिस्टम के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि सीएक्स और एसटी प्रशासन में मुख्य प्रक्रियाओं को कवर करते हुए शुरू से अंत तक पूर्ण समाधान प्रदान कर सके। प्रयोक्ता एसीईएस को वेबसाइट https://www.aces.gov.in पर प्रयोग कर सकते हैं और एसटी और सीएक्स के बीच विकल्प को चुन सकते हैं। सीएक्स के लिए एसीईएस एप्लीकेशन में दस मॉड्यूल हैं नामत: एक्सेस कन्ट्रोल लोजिक (एसीएल), पंजीकरण, रिटर्न, अनंतिम निर्धारण, दावे और सूचना (सीएलआई), विवाद निपटान प्रस्ताव, प्रतिदाय, निर्यात, लेखापरीक्षा और रिपोर्ट। इसी प्रकार, एसीईएस में एसटी के लिए आठ मोड्यूल है (सीएलआई और निर्यात को छोड़कर)।

1.4 हमने यह विषय क्यों चुना

जैसा कि इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट है, एसीईएस का भारत में कर प्रशासन की समग्र विधि पर दूरगामी प्रभाव है। यह न केवल मौजूदा कर परिवेश में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का इलैक्ट्रानिक साधन प्रदान करना है किन्तु यह जीएसटी कार्यान्वित करने के बाद कर संग्रहण और कार्यान्वयन तंत्र की भविष्य की संरचना के लिए भी आधार तैयार करता है। एसीईएस को सीएक्स तथा एसटी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तथा सरल करके व्यापार एवं उद्योग में सहायता करते हुए राजस्व को निष्पक्ष, न्यायसंगत तथा दक्ष तरीके से वसूल करने में सहायता करने के लिए डिजाईन किया गया है।

ऐसे परिदृश्य में, हमने महसूस किया कि यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या प्रणाली को विधिक ढांचे की कड़े अनुपालन में डिजाईन किया गया है, स्वैच्छिक अनुपालन हेतु करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सही विशेषताएं इसमें हैं, करदाताओं तथा विभागीय प्रयोक्ताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया गया है तथा प्रतिदिन बदलते पर्यावरण में तेजी से ढल जाने

के लिए आवश्यक लचीलापन तथा मापनीयता है, एसीईएस की कार्यप्रणाली का निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक था।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी कि क्या एसीईएस के निम्नलिखित उद्देश्य पूरे हुए हैं:

- कारोबार प्रक्रियाओं को पुन:निर्माण करने तथा वर्तमान कर प्रशासन को एक आधुनिक, दक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली में बदलने के लिए;
- कागजी दसतावेजों की मानवीय रूप से फाइलिंग तथा हैण्डलिंग को क्रमश: ई-फाइलिंग तथा ई-प्रोसेसिंग में बदलना जो विभागीय अधिकारियों के साथ व्यवसायिक समुदाय के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को कम करता,

उपरोक्त के अतिरिक्त, हमने बोर्ड की क्षेत्रीय संरचनाओं में एसीईएस के विभिन्न मॉड्यूलों के उपयोग की सीमा की भी जांच की।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और चयन

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने डीजी (सिस्टम) के अतिरिक्त 145 कमिश्नरियों में से 40[1], 737 डिवीजनों में से 75, 3,649 रेजों में से 201 को चयनित एवं कवर किया। चयनित सीडीआरज में चयनित रेजों तथा विभागीय प्रयोक्ताओं के अंतर्गत सीएक्स तथा एसटी के निर्धारितियों के प्रतिनिधि नमूने से फीडबैक प्राप्त करने के लिए 420 विभागीय प्रयोक्ताओं तथा 543 निर्धारितियों को ईमेल/डाक द्वारा एक प्रश्नावली प्रचारित की गई थी।

1.7 लेखापरीक्षा कवरेज

[1] अहमदाबाद (एसटी), अहमदाबाद-II, इलाहाबाद, बेंगलूरू (एलटीयू), बैंगलूरू-I (एसटी), बैंगलूरू-I (सीएक्स), भोपाल, भुवनेश्वर-II, बोलपुर, चण्डीगढ-I, चेन्नै (एलटीयू), चेन्नै-I (एसटी), कोयम्बटूर, दिल्ली (एलटीयू), दिल्ली-II (सीएक्स), दिल्ली-II (एसटी), गोवाहाटी, हैदराबाद-II, हैदराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-I, कानपुर, कोचीन, कोलापुर, कोलकाता-I (एसटी), कोलकाता-III, कोलकाता-I, लुधियाना, मुम्बई (एलटीयू), मुम्बई-I (सीएक्स), मुम्बई-I (एसटी), पटना, पुदुचेरी, पूणे-I, रांची, रोहतक, सूरत-II, बडोदरा-II और विशाखापट्टनम-I

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, हमने एसीईएस का इसके प्रारंभ अर्थात दिसम्बर 2008 से जून 2014 तक कमिश्नरियों, डिवीजनों तथा रेजों में इसके कार्यान्वयन तथा उपयोग की जांच की। हमने चयनित अवधि के लिए एसीईएस के विकास एवं कार्यान्वयन से संबंधित डीजी (प्रणाली) के अभिलेखों की भी जांच की।

1.8 आभार

हम इस लेखापरीक्षा के संचालन के लिए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करने में सीबीईसी तथा इसके सहायक संगठनों द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

हमने 14 अगस्त 2014 को एक एन्ट्री कान्फ्रेंस में सीबीईसी अधिकारियों के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की। हमने 13 अक्तूबर 2015 को सीबीईसी के साथ एक्जिट कान्फ्रेंस का आयोजन किया।

[2] अहमदाबाद-II, भोपाल, चडीगढ़-I, चेन्नई (एलटीयू), दिल्ली-II (सीएक्स), दिल्ली-II (एसटी), दिल्ली (एलटीयू), गुवाहाटी, हैदराबाद-V, इंदौर, जयपुर-I, कोल्हापुर, लुधियाना, मुम्बई,-I (सीएक्स), मुम्बई-I (एसटी), मुम्बई (एलटीयू), पुणे-I, रांची, रोहतक और बडोदरा-II

अध्याय 2: सिस्टम डिजाईन

2.1 प्रणाली मुद्दे

एसीईएस प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमावली प्रावधानों/प्रमाणीकरण का समावेशन

2.1.1 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के प्रावधान

आईटी अधिनियम, 2008 में एक इलैक्ट्रानिक संव्यवहार, इलैक्ट्रानिक अभिलेख के प्रेषण/प्राप्ति का समय/स्थान के आरोपण हेतु विशिष्ट प्रावधान है। ये प्रावधान एक निर्दिष्ट संव्यवहार को एक निर्दिष्ट व्यक्ति से जोड़ने के लिए विधिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। तथापि, जांच के दौरान यह देखा गया था कि प्रयोक्ता कम्प्यूटरों के भौतिक स्थान चिन्हन (जैसे आईपी अड्रेस) को ग्रहण/दर्ज नहीं करती, और इसलिए अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप नहीं है।

जब हमने यह बताया (सितम्बर 2014), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार न करते हुए कहा (अक्तूबर 2015) कि एक निर्धारिती अथवा नया आवेदक अपने प्रयोक्ता अकाऊंट के सफल सत्यापन के माध्यम से ही एसीईएस में एक्सेस प्राप्त करता है तथा विभागीय प्रयोक्ता को एक पासवर्ड के साथ एक विशिष्ठ एकल पहचान हस्ताक्षर (एसएसओआईडी) आबंटित किया गया है। अत: आईपी अड्रेसग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईपी अड्रेस ग्रहण करना होस्ट तथा नेटवर्क इन्टरफेस को चिन्हित करने तथा स्थान का पता लगाने का मुख्य कार्य करता है, जिसका पता विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रयोक्ता नाम एवं पासवर्ड से नहीं लगाया जा सकता। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा का सुझाव है कि आइटी संव्यवहारों में शामिल जोखिम एवं धोखेघड़ी को ध्यान में रखते हुए प्रयोक्ता मशीनों के आईपी अड्रेस को ग्रहण करना बेहतर होगा। यह प्रणाली को एक दूसरे स्तर की सुरक्षा जांच उपलब्ध कराएगा।

2.1.2 पंजीकरण प्रमाण पत्र लौटाना का समर्पण

अधिसूचना दिनांक 26 जून 2001 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 9 तथा सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 4(7) क्रमश: सीएक्स तथा एसटी के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्रों (आरसीज) के समर्पण हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करते हैं। निर्धारिती को पंजीकरण मुक्त करने से पहले, विभाग को निर्धारिती के विरूद्ध बकाया देयता की जांच करनी होती है। इसके अतिरिक्त निर्धारिती को अपना मूल आरसी जमा कराना भी आवश्यक है। हमने देखा कि एसीईएस में समर्पण आवेदन स्वीकार करने से पहले बकाया कर देयता की जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा मूल आरसी का समर्पण करने की मांग की भी एसीईएस के माध्यम से देख रेख नहीं की जा रही है। प्रक्रिया में इन कमियों को दस्ती तरीकों से पूरा किया जाता है।

हमने यह भी देखा कि एसीईएस में डिवीजन/रेंजवार निर्धारितियों जिनका समर्पण याचिका लम्बित है, की सूची ही, देखी जा सकती थी। परन्तु उन निर्धारितियों की सूची बनाने करने का कोई प्रावधान नहीं है जिनकी समर्पण याचिका स्वीकार हो चुकी थी। एसीएल मॉड्यूल में उपलब्ध समर्पण सूची समग्र कमीश्नरी के लिए सूचियां प्रदर्शित करता है न कि रेज/डिवीजन वार तथा समर्पण की स्वीकृति की तिथि भी नहीं दर्शाता।

जब हमने यह बताया (मई 2015), तो मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि एसीईएस, एसीईएस में उपलब्ध बकाया देयताओं के मामले में समर्पण याचिका का प्रक्रमण रोक देता है तथा एसीईएस से बाहर उपलब्ध देयताओं की प्रत्यक्ष रूप से जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त इसने बताया कि मूल आरसीज जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हस्ताक्षरित आरसी की मांग को 28 फरवरी 2015 से छोड़ दिया गया था। एसीईएस डिवीजन/रेंजवार उन निर्धारितियों की सूची के मामले में जिनकी समर्पण याचिका स्वीकार कर ली गई है इसने बताया कि मामला जांच के अधीन है। लेखापरीक्षा का विचार है कि समस्त कार्यकारी प्रक्रिया का स्वचालन सुनिश्चित करने के लिए एसीईएस से बाहर उपलब्ध देयताओं को एसीईएस का भाग बनाया जा सकता है। चूंकि आरसी पर कोई हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आरसी की विधिक शुद्धता पर प्रश्न उठता है। उन निर्धारितियों की एसीईएस

डिवीजन/रेंजवार सूची के मामले में आगामी प्रगति प्रतीक्षित है जिनकी समर्पण याचिका स्वीकृत हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि यह व्यवहारिक नहीं हो सकता है क्योंकि प्रणाली बाहर की देयताओं की स्थिति उनके सहित जो विभिन्न न्यायिक प्राधिकार में है, अक्सर बदल सकती है।

लेखापरीक्षा यह मत करती है कि यदि विभिन्न न्यायिक प्राधिकार में देयताओं की स्थिति अक्सर बदलते हैं तो यह अच्छा रहेगा कि इस डाटा को प्रणाली में अनुरक्षित किया जाए जिससे बेहतर निगरानी सुनिश्चित हो सके।

2.1.3 विस्तृत संवीक्षा के लिए रिटर्नों का चयन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी संवीक्षा नियमावली 2008 के पैरा 4.1ए के साथ पठित पैरा 4वीं जोखिम मानदण्डों के आधार पर प्राप्त हुए कुल रिटर्नों के पांच प्रतिशत का निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा हेतु चयन करने का प्रावधान करते हैं। चूंकि ₹ तीन करोड़ से अधिक के कुल शुल्क भुगतान वाली बड़ी इकाईयां प्रतिवर्ष अनिवार्य लेखापरीक्षा का विषय हैं, इसलिए विस्तृत रिटर्न संवीक्षा में गैर-अनिवार्य इकाईयों के रिटर्नों पर ध्यान केन्द्रीत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के पैरा 3.1.3बी का उप पैरा 2 भी यह निर्धारित करता है कि उन रिटर्नों का चयन तर्कसंगत है जो कुछ अथवा सभी मापदण्डों पर जोखिमपूर्ण माने गये हैं। प्रथम:, वे सभी रिटर्न छॉटे जाने हैं जो सूचीबद्ध सभी मानदण्डों पर 'जोखिमपूर्ण' सिद्ध हुए हैं। यदि सूची में उस माह के दौरान दर्ज कराए गए कुल रिटर्नों के दो प्रतिशत से कम रिटर्न हैं, तो उन रिटर्नों का चयन किया जाता है जो एक के अतिरिक्त अन्य सभी मानदण्डों पर 'जोखिमपूर्ण' सिद्ध हुए हैं तथा यह इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक प्रणाली उस माह के दौरान प्रस्तुत किये गए कुल रिटर्नों के पांच प्रतिशत को संवीक्षा हेतु योग्य के रूप में चिन्हित नहीं कर लेती।

विस्तृत संवीक्षा हेतु ऐसी ही प्रक्रियाएं सेवा कर विवरणी संवीक्षा नियमावली, 2009 में भी निर्धारिती की गई थीं। सेवा कर रिटर्नों की संवीक्षा हेतु नियमावली, 2009 का पैराग्राफ 4.2ए निर्धारित करता है कि केवल दो प्रतिशत रिटर्नों की विस्तृत संवीक्षा में जांच किये जाने की आवश्यकता है। दिनांक 11

मई 2009 का बोर्ड का परिपत्र भी यह निर्धारित करता है कि एसीईएस लागू होने के पश्चात, रिटर्न स्वत: ही जोखिम के घटते क्रम में सूचीबद्ध हो जाएगें तथा चयन हेतु आयुक्त को प्रस्तुत किये जाएगें।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त निर्देशों के प्रतिकूल, कम-जोखिम मानदण्डों के अनुप्रयोग से संबंधित साफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशन (एसआरएस) दस्तावेज में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिटर्न हेतु नियमावली में निर्धारित पांच प्रतिशत के बजाए अन्तनिहित कम-जोखिम मानदण्डों के आधार पर विस्तृत संवीक्षा के उद्देश्य से उस महीने के दौरान प्रस्तुत किए गए कुल रिटर्नों के केवल दो प्रतिशत के चयन की परिकल्पना की गई थी।

इसके अतिरिक्त चयनित सीडीआरज में, मॉड्यूल की कार्यप्रणाली की नमूना जांच करने पर, हमने देखा कि मॉडयूल में बोर्ड द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार अन्तर्निहित जोखिम मानदण्डों के आधार पर विस्तृत संवीक्षा हेतु रिटर्नों के चयन के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

जब हमने यह बताया (सितम्बर 2014 से मार्च 2015 के बीच), तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि जोखिम मानदण्डों के आधार पर विस्तृत संवीक्षा हेतु रिटर्नों के चयन को एसीईएस में क्रियान्वित नहीं किया गया है। तथापि, इसने आगे बताया कि दिनांक 21 जुलाई, 2015 के परिपत्र के अनुसार, विस्तृत संवीक्षा हेतु कमिश्नरियों द्वारा निर्धारितियों के चयन की कार्यात्मकता एसीईएस से सर्जित होने वाले जोखिम स्कोर पर आधारित होगी। तथापि, अब तक एसीईएस में इस कार्यात्मकता को लागू न करने के लिए तथा नियमावली के दो से पांच प्रतिशत के प्रतिकूल एसआरएस में केवल दो प्रतिशत रिटर्नों के चयन की परिकल्पना करने के लिए कोई कारण नहीं बताए गए थे।

2.1.4 चिन्हित रिटर्नों की समीक्षा हेतु समय-सीमा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिटर्नों की संवीक्षा हेतु नियमावली, 2008 के पैरा 2.1ए के अनुसार, प्रारंभिक संवीक्षा तीन महीने के अन्दर की जानी चाहिए। तथापि, हमने देखा कि समीक्षा एवं सुधार (आरएनसी) से संबंधित एसआरएस दस्तावेज में, यह अभिकल्पित किया गया था कि प्रणाली समीक्षा हेतु उन रिटर्नों को चिन्हित करती है जिनमें किसी गलती को सुधारने के लिए माह के

अन्त तक निर्धारिती से सलाह के पश्चात विभागीय अधिकारियों द्वारा सुधार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मॉड्यूल में समय-सीमा की आवश्यकता नहीं डाली गई थी।

जब हमने यह बताया (मार्च 2015) तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि प्रारंभ में, एसीईएस में रिटर्नों की आरएनसी के लिए एक माह की समय सीमा अन्तर्निहित की गई थी, परन्तु बाद में, आरएनसी हेतु चिन्हित रिटर्नों की भारी संख्या को देखते हुए, जो क्षेत्र में उपलब्ध श्रमबल के अनुरूप नहीं था, एक माह की समय सीमा हटा दी गई थी।

लेखापरीक्षा का विचार है कि चूंकि अब आरएनसी हेतु रिटर्नों को चिन्हित किया जाना कम हो गया है, समय सीमा निर्धारित की जा सकती है।

2.1.5 अनंतिम निर्धारणों को अन्तिम रूप देने की निगरानी हेतु प्रावधान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 7 तथा सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(4) के अनुसार, निर्धारिती द्वारा शुल्क/कर के अनंतिम रूप से निर्धारण हेतु याचिका दर्ज कराने की तिथि से छह माह के अन्दर अनंतिम निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जाना आवश्यक है। हमने देखा कि एसीईएस मॉड्यूल में निर्धारित समय सीमा में अनंतिम निर्धारण को अन्तिम रूप देने की निगरानी करने का कोई प्रावधान नहीं था।

जब हमने यह बताया (सितम्बर 2014), तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि अनंतिम निर्धारण मामलों का लम्बन क्षेत्रीय अधिकारी के डैश बोर्ड पर तथा प्रत्येक कमीशनरी की मासिक निष्पादन रिपोर्ट में दर्शाया जाता है तथा अनंतिम निर्धारण मामलों के निपटान की निगरानी हेतु एक रिपोर्ट सर्जन सुविधा का विकास जांच के अधीन है।

2.1.6 दस्तावेज को अपलोड/संलग्न करने हेतु प्रावधान

हमने देखा कि एसीईएस में ऐसे किसी दस्तावेज को अपलोड करने/संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं था जो पंजीकरण, रिटर्नों की संवीक्षा, प्रतिदाय, निर्यात इत्यादि हेतु आवश्यक थे। इस सुविधा के अभाव में, निर्धारिती के लिए ये सभी दस्तावेज दस्ती/प्रत्यक्ष रूप से जमा कराना आवश्यक था। एसीईएस के माध्यम से विस्तृत संवीक्षा हेतु आनलाईन दस्तावेज मंगवाने के लिए

प्रावधान भी उपलब्ध नहीं था। इसके कारण एसीईएस का मुख्य उद्देश्य यथा प्रत्यक्ष इन्टरफेस को कम करना, पूरा नहीं हुआ।

जब हमने यह बताया (दिसम्बर 2014), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (अक्तूबर 2015) कि वर्तमान अवसंरचना के उन्नयन हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है जो स्कैन किये गए दस्तावेजों की अपलोडिंग को सुगम बनाएगा क्योंकि वर्तमान अवसंरचना स्कैन किये गए दस्तावेजों की अपलोडिंग तथा भण्डारण हेतु पर्याप्त नहीं है।

2.1.7 एसीईएस में अधिसूचनाओं/संशोधनों को अद्यतन करना

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि एसीएल मॉड्यूल में अधिसूचनाएं/संशोधन अपलोड करने का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है, तथापि सीएक्स अधिनियमों/नियमों तथा एसटी अधिनियमों/नियमों से संबंधित अधिसूचनाएं/परिपत्र तथा उनमें संशोधन अपलोड किये गए नहीं पाए गए थे। इसके अतिरिक्त, एसीईएस पर मॉड्यूल में अधिसूचनाओं/परिपत्रों इत्यादि में बजटीय अथवा अन्य परिवर्तनों को नियमित रूप से अद्यतित करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है।

जब हमने यह बताया (सितम्बर 2014), तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि सीएक्स तथा एसटी अधिसूचना मास्टरों को रिटर्न-फाइलिंग की अवधि की शुरूआत से पहले अनुरक्षित तथा आवधिक रूप से अद्यतित किया जाता है। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान, दिल्ली (एलटीयू) कमीश्नरी ने अधिसूचना मास्टर में सक्रिय अधिसूचनाओं की अनुपलब्धता बताई (अक्तूबर 2014), जो अद्यतन की प्रणाली में विलम्ब की ओर संकेत करता है।

2.1.8 एसीईएस में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों को सक्षम करना

अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में अधिनिर्णयन, न्यायिक प्रक्रियाएं, विभिन्न व्याख्याएं तथा वित्तीय आयाम शामिल हैं। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति के साथ ऐसा प्रशासन उपलब्ध कराया गया है, आईटी अनुप्रयोग के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि को अबाध्य होनी चाहिए। डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के माध्यम से किये गये लेनदेन/किसी भी दस्तावेज की

पहचान और सत्यता उपलब्ध करता है। ऐसी प्रमाणिकता के अभाव में, किसी भी प्रशासन का आईटी में विकास सफल नहीं होगा।

यद्यपि एसीईएस एप्लीकेशन के सभी मॉड्यूल को प्रमाणिकता की आवश्यकता होती है, यह विवाद समाधान निपटान, प्रतिदाय, निर्यात और रिटर्न मॉड्यूल के लिए अनिवार्य है।

एसीईएस एप्लीकेशन में डिजीटल हस्ताक्षर सुविधा एसीईएस में प्रत्येक प्रक्रिया को कानूनी वैधता उपलब्ध कराता है, जिसके बिना, एसीईएस के माध्यम से बनाए गए आदेशों पर न्यायालय में सवाल उठाया जा सकता है। कानूनी वैधता उपलब्ध कराने के लिए, अधिकारियों को मैनुअल कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कार्य में दोहरापन (एसीईएस और मैनुअल मोड दोनों के माध्यम से एप्लीकेशन प्रक्रमण) होता है और अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाता है और इस प्रकार एसीईएस एप्लीकेशन के यथार्थ उद्देश्य से समझौता किया जाता है। अधिकारी उपरोक्त कारण की वजह से एप्लीकेशन जो एसीईएस के माध्यम से प्राप्त होती है के प्रकमण में मैनुअल मोड़ को पसंद करते हैं।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (मई 2015) मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि शुरू में एसीईएस को डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन निर्धारितियों की तत्परता को ध्यान में रखते हुए और विभाग से ऑनलाइन लेनदेन में उनको असुविधा से बचाने के लिए, कार्यात्मकता को निष्क्रिय करने का निर्णय लिया गया था और कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए अनुसार कार्य में कोई दोहरापन नहीं था।

लेखापरीक्षा की राय है कि डिजीटल भारत के परिदृश्य में, डिजीटल हस्ताक्षर का प्रावधान एसीईएस में सक्षम किया जाना चाहिए ताकि पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित हो।

2.2 व्यवसाय प्रक्रियाओं की पुनर्रचना

व्यापार प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर) 'लागत, गुणवत्ता, सेवा और गति जैसे निष्पादन के महत्वपूर्ण समकालीन उपायों में प्रभावशाली सुधार प्राप्त करने के

लिए व्यापार प्रक्रियाओं पर मूल रूप से पुनर्विचार और पूर्ण पुनर्रचना करना' है। बीपीआर में, स्वत: ही संस्थान में व्यापार प्रक्रियाओं और कार्य प्रगति का विश्लेषण और पुनर्रचना शामिल है और यह उनकी व्यापार प्रक्रियाओं के भूमि के ऊपर की रचना पर ध्यान देकर संस्थान की पुनर्रचना का प्रयास करता है। बीपीआर का उद्देश्य संस्थान को मूल रूप से सहायता देना है, पुर्नविचार करना कि वे सेवा को प्रभावी रूप से सुधारने के लिए कैसे कार्य करें, परिचालन लागत कम करना और तुलनात्मक विश्व स्तरीय संस्थान के मानकों का पालन करना है। बिना मूलरूप से पुनर्विचार के, तकनीकी अक्सर केवल व्यापार करने के पुराने तरीको से यंत्रचालित होती है।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने सीमा सुनिश्चित करने जहां तक एसीईएस, सीएक्स और एसटी के संग्रहण में शामिल मैनुअल प्रक्रियाओं की पूर्ण रूप से पुनर्रचना में एप्लीकेशन के रूप में सफल हुआ और इसके अलावा सभी सहायक कार्य प्रगति को सरल बनाने का प्रयास किया। हमने देखा कि, यद्यपि, सीएक्स और एसटी मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाएं एसीईएस एप्लीकेशन में स्वचालित थी, लेकिन समाज (मानव संसाधन) और प्रक्रियाओं (कार्य प्रगति और प्रक्रियाओं) को शामिल करके कार्यपद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं में व्यापार पुनर्रचना के 'मूल रूप से पुनर्विचार और पूर्ण पुनर्रचना' के संदर्भ में काफी कुछ किया जा सकता है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:-

2.2.1 मानव संसाधन प्रबंधन

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखा कि एसीएल मॉडयूल ने पदक्रम के कर्मचारियों द्वारा किये गये सभी कार्यों के लिए भूमिका बनाई, उसमें प्रणाली के माध्यम से वास्तविक कार्य स्थिति में निर्धारित कार्य कर्मीदल लगाने के लिए मानव संसाधन के वास्तविक प्रबंधन के अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू को कवर नहीं किया। एसीईएस की कवरेज के बाहर एचआर प्रबंधन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के कार्य जारी रहे:-

2.2.2 स्थानांतरण/तैनाती

एसीईएस की रचना इस धारणा पर की गई है कि व्यापक रूप से निर्धारित कार्यक्षेत्र में एक ही कार्य वहीं लोग करते हैं जो प्रणाली में एक बार आने के

बाद, प्रणाली के सुचारू कार्य को सुविधाजनक बनाता है। तथापि, सरकारी कार्य व्यवस्था में विभाग की कार्यपद्धति में कर्मचारी जिन्हें अलग-अलग कार्य करने होते हैं की भूमिका को बार-बार बदलने की आवश्यकता है, पदोन्नति/ स्थानांतरण पर विभिन्न कार्यक्षेत्र में एक ही कार्य या अनुपस्थित कर्मचारी का कार्य करते है। जांच के दौरान यह नोटिस में आया कि कार्य क्षेत्र का पता लगाने एसएसओआइडी को कार्य विशेषाधिकार का स्थानांतरण/तैनाती ओदशों के साथ जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप, सीमा में खाली कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले भावी कर्मचारी को भूमिका देने के लिये जटिल बहु-स्तरीय प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

चार्ट 2 - भूमिका निर्धारित करने की प्रक्रिया

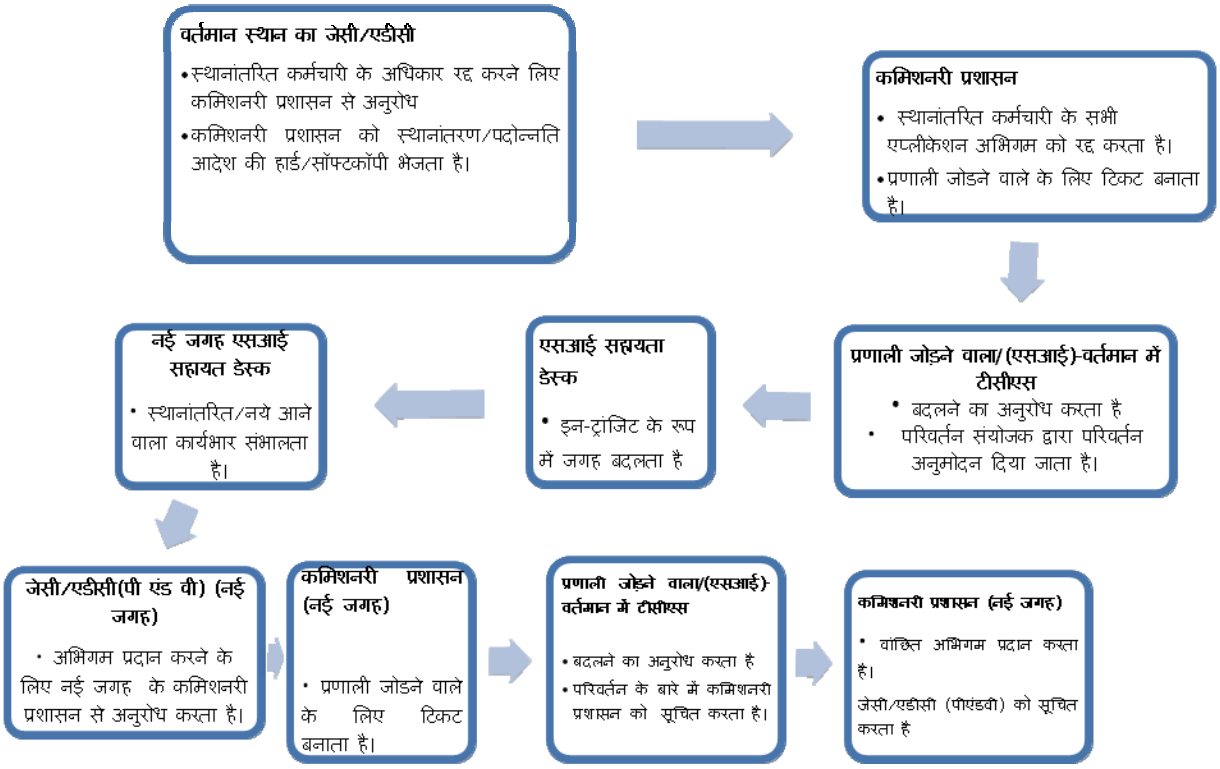

यह जटिल प्रक्रिया अंतिम रूप से कार्य शरू करने के लिए डेटा अधिकारों के लिए इन-ट्राजिट प्रतीक्षा में कई कर्मचारियों के साथ कई कार्य को कर्मीदल रहित छोड देती है। प्रक्रिया के मुख्य भाग के रूप में कार्य एसीईएस के एक प्रभार से मुक्त होने के बाद कर्मचारी को पुन: कार्य सौंपने के लिए ली गई सही समय सीमा को डेटा की जांच द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता

और प्रक्रिया जो स्थानांतरण आदेश से शुरू होकर नया कार्य लेने तक होती है मैनुअल रूप से पूर्ण होने के कारण स्टाफ निष्फल होता है।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (मार्च 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि चूंकि कर्मचारी को सीमाशुल्क, सीएक्स या एसटी संबंधित कार्य करने के लिए एक से अधिक एप्लीकेशन का प्रयोग करना होता है, भूमिका सौंपने/संशोधित करने के लिए कमिशनर (प्रशासन)/मुख्यालय प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए एसीईएस में काफी छूट दी गई है। इन स्थानांतरण क्रिया के प्रबंधन के लिए, निर्धारित प्रोटोकॉल का होना आवश्यक है ताकि कार्य प्रगति में कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो और सभी पणधारकों को निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा।

लेखापरीक्षा की राय है कि चूंकि भूमिका सौंपने और पुन: सौंपने की वर्तमान प्रणाली काफी जटिल है और इसमें काफी पणधारक शामिल हैं, इसे सरल बनाने की आवश्यकता है।

2.2.3 एसीईएस में महत्वपूर्ण अनुभागों की भूमिका

हमने एसीईएस में विधि, अधिकरण, तकनीकी, अधिनिर्णय, कर वसूली सेल, रोधक/अपवंचन विरोधी, सांख्यिकी आदि जैसे महत्वपूर्ण अनुभागों की भूमिका बताने के संबंध में चयनित सीडीआर और डीजी (सिस्टम) से पूछताछ की (सितम्बर 2014 और मार्च 2015 के बीच)।

डीजी (सिस्टम) ने कहा (मई 2015) कि भूमिका कमिश्नर प्रशासन द्वारा स्थानीय रूप से बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि एसीईएस अधिकरण तक नहीं और कर वसूली या तकनीकी विंग के लिए कार्यक्षमता नहीं है। जबकि रोधक या अधिनिर्णय कार्यों से संबंधित अधिकारियों को डीएसआर मॉडयूल प्रयोग करने की भूमिका दी जा सकती।

तथापि, कमिश्नरियों से प्राप्त (सितम्बर 2014 और मार्च 2015 के बीच) उत्तरों से, लेखापरीक्षा ने देखा कि विधि, अधिनिर्णय, रोधक/अपवंचन विरोधी आदि की भूमिका 20[2] कमिश्नरियों में नहीं बनाई गई थी। 13[3] कमिश्नरियों ने

---

[3] इलाहबाद, बैंगलुरू-। (सीएक्स), बैंगलुरू-। (एसटी), बैंगलुरू (एलटीयू), भुवनेश्वर-।।, बोलपुर, कोयंबटूर, हैदराबाद-।।, कानपुर, कोलकाता-।, कोलकाता-।।।, पटना और रायपुर

कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। केवल सात[4] कमिश्नरियों ने कहा कि यह अनुभाग एसीईएस में प्रतिचित्रित गए थे।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2015) मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि एसीईएस में महत्वपूर्ण अनुभाग को भूमिकाएं सौंपने के संबंध में एसीईएस का प्रयोग हर जगह अलग होता है और सभी अनुभागों की कार्यपद्धति बनाने की सुविधा उपलब्ध है।

मंत्रालय के उत्तर के विपरीत, लेखापरीक्षा ने देखा कि 40 चयनित कमिश्नरियों में से केवल 7 ने महत्वपूर्ण अनुभागों में भूमिका प्रतिचित्रित करने के बारे में सूचित किया।

2.2.4 निरीक्षण स्तर के अधिकारियों को एसीईएस अभिगम

निरीक्षकों से सभी कार्यक्षेत्र के कार्य में रेंज अधिकारी की सहायता करना अनिवार्य है और दोनो संयुक्त रूप से सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। कर्तव्य, जो एसीईएस प्रस्तुत करने से पूर्व निरीक्षक द्‌वारा पूर्ण किये जाते थे बाद में उनके द्‌वारा नहीं किये जा सकते क्योंकि एसीईएस के कार्य प्रवाह में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वर्तमान में, सभी कर्तव्य/उत्तरदायित्व रेंज अधिकारी के हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्य का संचय होता है।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (दिसम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि एसीईएस में कार्य करने के लिए निरीक्षकों को अनुमति देने के लिए कार्यक्षमता का विकास किया जा रहा है।

2.2.5 प्रक्रिया रूपरेखा

सरलता से निर्धारित कार्य करने के लिए लोगो की सहायता करने की प्रक्रियाएं कार्यपद्धति के अन्य मुख्य क्षेत्र हैं जो उत्पादन, सेवा और लागत की गुणवत्ता प्रभावित करते है। एसीईएस की कार्यपद्धति की जांच के दौरान, यह देखा गया

---

[4] अहमदाबाद (एसटी), चेन्नई-। (एसटी), कोचिन, कोलकाता-। (एसटी), पुद्दुचेरी, सूरत-।। और विशाखापट्टनम-।

कि कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रक्रियाएं बनाने में काफी प्रयास करने के बावजूद, प्रक्रिया बनाने का प्रयोग करते समय उपभोक्ता आवश्यकताओं और व्यापार परिस्थिति को समझने में कुछ कमी थी। विभिन्न मॉडयूल में मौजूद प्रक्रिया बनाने की समस्या की अध्याय ।।। में चर्चा की गई है।

2.2.6 निष्कर्ष

व्यापक रूप से पूर्ण बीपीआर प्रयोग को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि यह मैनुअल सिस्टम को बदलने के लिए नई प्रणाली बनाने के लिए बड़ा कदम है, लोगो के प्रबंधन तकनीक की प्रक्रिया और प्रावधान के संबंध में पुनर्रचना प्रकिया में फिर भी कमी है।

सिफारिश संख्या 1

श्रम दिन जो एसीईएस में कार्य सौंपने की अवधि के दौरान अप्रयुक्त रहे को बचाने के लिए एसीईएस में कर्मचारियों का पता लगाने के संबंध में अपनाई गई जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। एक पद्धति जो इसे प्राप्त करने के लिए अपनाई जा सकती है एसीईएस प्रणाली में ही कर्मचारियों का स्थानांतरण और तैनाती शामिल करना है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि एसीईएस में अधिकारियों का स्थानांतरण और तैनाती शामिल करना संभव नहीं है, चूंकि एसीईएस को मानव संसाधन के प्रबंधन के लिए साधन के रूप में प्रयोग करने हेतु विचार नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा की राय है कि कर्मचारियों का प्रतिचित्रित करने के संबंध में अपनाई गई जटिल प्रकिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

सिफारिश संख्या 2

छोडी गई एप्लीकेशन के प्रक्रमण के लिए बकाया देयता को पूर्ण रूप से जोड़ने के प्रावधान को एसीईएस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शुरू किया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि प्रणाली जांच कर लेती है, यदि एसीईएस में उपलब्ध जानकारी के अनुसार निर्धारिती के प्रति कोई भी बकाया राशि है। कुछ निर्धारितियों, जो एसीईएस में चले गये थे के संबंध में पूर्व-एसीईएस बकाया और देयता जो लेखापरीक्षा जांच के दौरान ऑफलाइन मोड में है एसीईएस में नहीं ली गई है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने सुझाव दियाकि ऑफलाइन में उपलब्ध देयता को एसीईएस का भाग बनाया जा सकता है।

[5] मै. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एसीएल मॉड्यूल हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में कार्य करता है।

अध्याय-3: मॉड्यूलों पर अभ्युक्तियां

एसीईएस ने निम्नलिखित मॉड्यूलों में मुख्य प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है:-

1. प्रयोक्ताओं का एक्सेस नियंत्रण (एसीएल) इस मॉड्यूल को विभागीय प्रयोक्ताओं को एक्सेस उपलबध कराने के लिए मुख्यत: कमिश्नरी प्रशासन द्वारा प्रचालित किया जाता है।
2. पंजीकरण (आरईजी): ऑनलाइन मोड के माध्यम से निर्धारितियों का पंजीकरण।
3. विवरणियां (आरईटी): विवरणियों की इलैक्ट्रोनकि रूप से फाइलिंग।
4. प्रतिदाय (आरईएफ): प्रतिदाय दावों की इलेक्ट्रानिक रूप से फाइलिंग और उनका संसाधन।
5. अनंतिम निर्धारण (पीआरए): अनंतिम निर्धारण के लिए आवेदन की इलेक्ट्रोनिक रूप से फाईलिंग और विभागीय अधिकारियों द्वारा इसका संसाधन।
6. विवाद समाधान प्रस्ताव (डीएसआर): कारण बताओ ज्ञापन, व्यक्तिगत सुनवाई ज्ञापन, अधिनिर्णयन आदेश, अपीलीय एवं संबंधित प्रक्रियाएं।
7. लेखापरीक्षा मॉडयूल (एयूडी) :यह मॉड्यूल विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली का प्रबंध करता है।
8. रिपोर्ट मॉड्यूल (आरईपी): रिपोर्टों के सृजन हेतु
9. निर्यात मॉड्यूल (इएकसपी): निर्यात संबंधित दस्तावेजों के संसाधन हेतु।
10. दावा पत्र एवं सूचनाएं (सीएलआई): निर्धारितियों द्वारा दावों, सूचनाओं और अनुमतियों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाईलिंग और विभागीय अधिकारियों द्वारा उनका संसाधन करना।

अलग-अलग मॉड्यूलों से संबंधित अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:-

3.1 एक्सेस नियंत्रण लॉजिक

विभागीय प्रयोक्ता डीजी (सिस्टम) द्वारा जारी की गई एसएसओआईडी नामक एकल प्रयोक्ता आईडी के माध्यम से एसीईएस अनुप्रयोग को एक्सेस करते हैं। यह एसएसओआईडी प्रत्येक अधिकारी के संबंध में विभाग में उसके करियर के दौरान एक ही रहती है। प्रत्येक कमिश्नरी में कमिश्नरी प्रशासन (कमि. प्रशा.) का सृजन डीजी (सिस्टमस) में मुख्यालय प्रशासक द्वारा किया जाता है। एसीएल मॉड्यूल को मुख्यत: कमि. प्रशा. द्वारा प्रचालित किया जाता है जो एसीएल मॉड्यूल के माध्यम से विभागीय प्रयोक्ताओं को सक्रिय करते हैं और एसीईएस में केन्द्रीय रूप से जिम्मेदारियां और अधिकार क्षेत्र सौंपते हैं। एसएसओआईडी के वास्तविक कार्य का प्रबंध सिस्टम इटीग्रेटर (एसआई)[5] द्वारा किया जाता है जिससे मौजूदा कमिश्नरी से बाहर स्थानातरण /पदोन्नति /नई नियुक्ति के मामले में भूमिका के साथ एसएसओआईडीज की मैपिंग के लिए चेंज आवेदन और चेंज का अनुमोदन करना अपेक्षित है।

एसीएल मॉड्यूल सिस्टम भूमिकाओं के साथ विभाग के वास्तविक कार्यबल की इंटरफेसिंग उपलब्ध कराती है और एसीईएस में विभागीय प्रयोक्ताओं द्वारा पूरा किए जाने वाले कार्यों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मॉड्यूल की कार्यप्रणाली की सक्रियता की स्थिति को और विभागीय प्रयोक्ताओं (एसएसओआईडी) को भूमिका/कार्य देने को सुनिश्चित करने के लिए चयनित सीडीआरज और डीजी (सिस्टम) में जांच की गई थी। जांच के दौरान निम्नलिखित डिजाइन अवरोधक देखे गए थे:-

3.1.1 एसएसओआईडी को सक्रिय करना

विभाग में जॉइनिंग के समय पर सक्रिय करने में लगे समय को जानने के लिए हमने चयनित सीडीआरज से एसएसओआईडीज को सक्रिय करने में लगे समय से संबंधित विवरण भेजने का अनुरोध किया। उत्तर के आधार पर निम्नलिखित आपत्तियां की गई है:-

नये/विद्यमान विभागीय प्रयोक्ता के लिए एसएसओआईडी को सक्रिय करने तथा मैपिंग के लिए बोर्ड द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

छह कमिश्नरियों[6] द्वारा एसएसओआईडीज को सक्रिय करने संबंधी सूचना भेजी गई थी तथा हमने पाया कि इनमें से चार कमीश्नरियों ने एसएसओआईडीज को सक्रिय करने तथा विभागीय प्रयोक्ताओं को भूमिका/गतिविधि का आबंटन करने में 7 से 935 के मध्य दिन लगे।

बारह[7] कमिश्नरियों ने बताया (सितम्बर 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य) कि एसीईएस से इसको सृजित/प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शेष 22 कमिश्नरियों ने या तो अधूरी सूचना उपलब्ध कराई या डाटा उपलब्ध ही नहीं कराया।

इन कमिश्नरियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त छह कमिश्नरियों ने यही सूचना उपलब्ध कराई है।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2015) तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि जब एक अधिकारी का स्थानान्तरण एक कमीश्नरी से दूसरी में होता है, तो संबंधित कमि. प्रशा. के निर्धारित नमूने में अनुरोध पर एसआई दल द्वारा मैपिंग में परिवर्तन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि विलम्ब प्रणाली संबंधी प्रक्रियाओं में किसी कमी के कारण नहीं, अपितु अधिकतर इस तथ्य के कारण है कि कमि. प्रशा. कार्यकारी आवश्यकता के आधार पर अधिकारियों की मैपिंग हेतु अनुरोध भेजता है, जो पुन: कमिश्नरी में अधिकारी को आबंटित कार्य-प्रभार पर निर्भर है। उपरोक्त 12 कमिश्नरियों द्वारा एसीईएस में इस सूचना को आनयन न करने पर मंत्रालय का उत्तर मौन है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए गए विलम्ब के अलग-अलग मामलों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 33 कमिश्नरियों में हुए विलम्बों, यदि कोई हो, का आकलन करने के लिए भी इन कमिश्नरियों द्वारा डाटा प्रस्तुत न करने/अधूरी सूचना प्रस्तुत करने की जांच की आवश्यकता है।

---

[6] भुवनेश्वर-II, कोयम्बटूर, कोलकाता-I, पुदुचेरी, रॉंची और बडोदरा-II

[7] अहमदाबाद (एसटी), इलाहाबाद, दिल्ली (एलटीयू), दिल्ली-II (सीएक्स), हैदराबाद-II, हैदराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-I, कानपुर, पटना, रायपुर और विशाखापट्टनम-I

3.1.2 एसएसओआईडीज का निष्क्रियकरण

सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन, बरखास्तगी के कारण कमिश्नरियों द्वारा एसएसओआईडी के निष्क्रियकरण में लिया गया समय जानने के लिए, हमने चयनित सीडीआरज से एसएसओआईडीज के निष्क्रियकरण में लिए गए समय से संबंधित विवरण भेजने का अनुरोध किया। उत्तर के आधार पर निम्नलिखित आपत्तियां की गई हैं:-

तीन कमिश्नरियों[8] द्वारा एसएसओआईडीज के निष्क्रियकरण पर सूचना भेजी गई थी। इन तीन में से, दो कमिश्नरियों में हमने देखा कि उन्होंने सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन, बरखास्तगी के कारण एसएसओआईडीज के निष्क्रियकरण के लिए एक मामले में 92 दिनों के अधिकतम विलम्ब के साथ 30 प्रतिशत मामलों में 2 दिनों से अधिक समय लिया था। सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, निलम्बन तथा बरखास्तगी के बाद एसएसओआईडी के दुरूपयोग को नकारा नहीं जा सकता है।

सोलह कमिश्नरियों[9] ने बताया (सितम्बर 2014 से मार्च 2015 के बीच) कि यह सूचना एसीईएस के सृजित/प्राप्त नहीं की जा सकती। शेष 21 कमिश्नरियों ने या तो आंशिक रूप से सूचना उपलब्ध कराई थी या कोई डाटा ही प्रस्तुत नहीं किया था।

इन कमिश्नरियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त तीन कमीश्नरियों ने यही सूचना उपलब्ध कराई है।

जब हमने यह बताया (अक्तूबर 2014) तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर, अधिकारी, उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात, प्रणाली से स्वत: ही निष्क्रिय हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकारी को सेवा से निलम्बित/हटाये जाने की स्थिति में, अधिकारी की मैपिंग सम्बन्धित कमिश्नरी के साथ जारी रहेगी, परन्तु कमि.

[8] भूवनेश्वर-।।, गोवाहाटी और कोलकाता-।

[9] इलाहाबाद, चण्डीगढ-।, चेन्नै-। (एसटी), दिल्ली-।। (सीएक्स), दिल्ली (एलटीयू), हैदराबाद-।।, हैदराबाद-IV, इंदौर, जयपुर-।, कानपुर, कोचीन, लुधियाना, पटना, पुदुचेरी, रोहतक और विशाखापट्टनम-।

प्रशा. उस अधिकारी को आरंभ में दी गई भूमिका को निष्क्रिय कर देगा, तथा अधिकारी किसी दस्तावेज देख/संसाधित नहीं कर सकता है। मंत्रालय का उत्तर उपरोक्त 16 कमिश्नरियों द्वारा एसीईएस से सूचना सृजित न किए जाने पर मौन है। इसके अतिरिक्त 37 कमिश्नरियों में हुए विलम्ब, यदि कोई है, का आकलन करने के लिए इन कमिश्नरियों द्वारा डाटा प्रस्तुत न करने/अधूरी सूचना प्रस्तुत करने की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

3.1.3 कार्य/गतिविधि का आवंटन

हमने चयनित सीडीआरज से विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में तैनात तथा एसीईएस में कार्य हेतु मैपिंग एसएसओआईडी वाले स्टाफ के बारे में पूछताछ की। हमारी पूछताछ की प्रतिक्रिया में, पांच कमिश्नरियों[10] ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) कि एसएसओआईडी वाले सभी हकदार अधिकारियों को कार्य/गतिविधि सौंपने के वर्षवार विवरण सर्जित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तेरह कमिश्नरियों[11] ने सूचित किया (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) कि विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में तैनात एसएसओआईडीज वाले स्टाफ को एसीईएस में, जब भी आवश्यकता हो, कार्य हेतु मैपिंग किया जाता है। शेष 22 कमिश्नरियों ने अधूरी सूचना उपलब्ध कराई थी अथवा कोई सूचना उपलबध नहीं कराई थी।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2014), तो मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि सभी एसएसओआईडीज को अधिकार क्षेत्र में मैपिंग किया गया था तथा भूमिका की वास्तविक मैपिंग क्षेत्रीय स्तर पर निर्णित एक आवश्यकता आधारित प्रक्रिया है।

क्षेत्रीय स्तर पर मैपिंग के बारे में सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा यह टिप्पणी करने में अक्षम है कि क्या सभी हकदार अधिकारियों को कार्य/गतिविधि सौंपी गई एवं मैपिंग किया गया था।

3.1.4 निष्कर्ष

---

[10] दिल्ली-II (सीएक्स), दिल्ली (एलटीयू), हैदराबाद-II, हैदराबाद-IV और जयपुर-I

[11] इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर-II, चेन्नै (एलटीयू), कोयम्बटूर, गोवाहाटी, इंदौर, कोलकाता-I, कानपुर, पटना, पुदुचेरी, रॉची और विशाखापट्टनम-I

उपरोक्त आपत्तियों के मद्देनज, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सक्रियकरण तथा निष्क्रियकरण में विलम्ब से बचने के लिए एसीईएस मॉड्यूल को ठीक करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह संचालन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बाहरी एजेन्सी अर्थात प्रणाली इन्टीग्रेटे के नियंत्रण में छोड़ देता है।

3.2 पंजीकरण (आरईजी)

एक आवेदक इंटरनेट के माध्यम से प्रणाली ने लाग आन कर सकता है तथा एक स्वयं चयनित प्रयोक्ता आईडी एवं ई-मेल आईडी प्रस्तुत करके प्रणाली में स्वयं को पंजीकृत करा सकता है। तब प्रणाली एक पासवर्ड सर्जित करेगी और इसे ई-मेल द्वारा उसे भेज देगी। प्रयोक्ता को पुन: लाग-ईन करना होता है तथा अपेक्षित प्रपत्र भरकर विभाग के साथ वैधानिक पंजीकरण के लिए आगे बढ़ना होता है। एसीईएस में पंजीकरण वैधानिक पंजीकरण नहीं है अपितु विभाग के अनुसार केवल प्रणाली के साथ पंजीकरण है। पंजीकरण मॉडयूल के माध्यम से नये निर्धारितियों, मौजूदा निर्धारितियों, एलटीयू निर्धारितियों और गैर –निर्धारितियों[12] का पंजीकरण किया जा सकता है।

एसीईएस के माध्यम से आवेदक द्वारा पंजीकरण के लिये आवेदन भरने के बाद, प्रणाली तत्काल पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) संख्या सृजित करेगी जिसके बाद पंजीकरण अनुरोध एसी/डीसी के पास जाता है। एजी/डीजी, आरसी निकालते हैं और इससे संबंधित संदेश इलैक्ट्रानिक रूप से निर्धारिती को भेज दिया जाता है। निर्धारिती द्वारा चयनित विकल्प के आधार पर, आरसी ई-मेल द्वारा भेजी जा सकती है या व्यक्तिगत रूप से एकत्रित की जा सकती है। फिर एसी/डीसी इकाई के भौतिक पुष्टिकरण (पीवी) हेतु यह रेंज अधिकारी (आरओ) को सौंपता है। आरओ संशोधन अथवा प्रमाण-पत्र निरस्तिकरण के आधार पर पंजीकरण पुष्टिकरण या प्रमाण-पत्र पुन:जारी कर पीवी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

---

[12] पंजीकृत निर्धारिती के अलावा व्यक्ति जैसे कि निर्यातक व्यापारी, व्यक्ति जो प्रतिदाय दावे फाइल करना चाहता है, विभाग प्रसंस्करण में सह-नोटिसी, व्यक्ति जिन्हें विभाग को कोई भी भुगतान करना अपेक्षित है गैर-निर्धारिती के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं।

3.2.1 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना

एसीईएस के प्रारंभ से प्राप्त आवेदनों और जारी आरसी की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि जून 2014 तक 14,28,917 आवेदन ऑनलाइन किये गये थे और 11,15,156 आरसी सीएक्स और एसटी दोनों के लिए जारी किये गये थे।

चार्ट 3

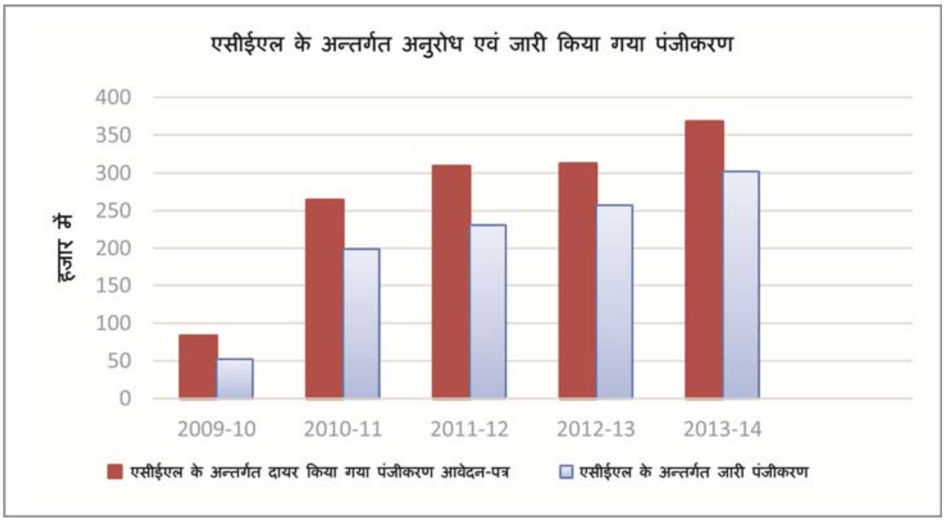

स्रोत: डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

पिछले कुछ वर्षों में फाइल किये गये आवेदनों और जारी की गई आरसी में अंतर आरसी जारी करने में विलम्ब और ऑनलाइन भरे गये आवेदनों के निपटान करने में कमी की ओर इशारा करता है। अत: विभाग, आरईजी मॉड्यूल में आरसी जारी में विलम्ब के कारणों की पहचान कर सकता है तथा उन पर कार्यवाही कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2015) में कहा कि 'व्यापार को सरल बनाने में सुधार' और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए दोनों सीएक्स और एसटी निर्धारितियों के संबंध में एक द्वी-दिवसीय पंजीकरण' पद्धति शुरू की गई है और पीवी ने एक पंजीकरण पश्चात् प्रक्रिया बनाई है।

3.2.2 पंजीकरण जारी करने हेतु समय-सीमा

दिनांक 26 जून 2001 और 13 दिसम्बर 2011 की अधिसूचना के अनुसार, सीएक्स और एसटी हेतु पंजीकरण संख्या वाली आरसी क्रमश: पूर्ण किये गये आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के अंदर प्रदान की जायेगी।

निम्नलिखित तालिका पंजीकरण के संबंध में एसीईएस मॉड्यूल का निष्पादन दर्शाती है:-

तालिका संख्या 1

		पंजीकरण हेतु फाईल किये गये आवदनों की संख्या	जारी की गई आरसी की संख्या	आरसी जारी करने के लिये गये अधिकतम दिन	आरसी जारी करने के लिये गये औसत दिन
अखिल भारतीय डेटा	सीएक्स	1,33,317	1,26,475	1,587	15
	एसटी	12,73,762	9,81,991	1,466	14
	कुल	**14,07,079**	**11,08,466**		
चयनित सीडीआर का डेटा	सीएक्स	49,406	46,789	1,587	17
	एसटी	7,32,262	5,56,305	1,466	18
	कुल	**7,81,668**	**6,03,094**		

स्रोत: डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि सीडीआर ने आरसी जारी करने के लिये क्रमश: सीई और एसटी में औसत 15 और दिन तथा 1 अधिकतम 1587 और 1466 दिन लिये। इसके अतिरिक्त चयनित कमिश्नरियों से निकाले गये उपरोक्त डेटा के विश्लेषण से पता चला कि डिवीजन/रेंज ने सात दिनों की निर्धारित समय सीमाके प्रतिकूल आरसी जारी करने के लिए क्रमश: सीएक्स और एसटी में औसत 17 और 18 दिन तथा अधिकतम 1587 और 1466 दिन लिये।

यद्यपि पंजीकरण के लिये आवेदन एसीईएस के माध्यम से प्राप्त हुये थे, आरसी जारी करने में असाधारण विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा की यह भी राय है कि कुछ निविदा प्रक्रियाओं में, मुख्य रूप से सरकारी आपूर्ति में चूंकि आरसी एक आवश्यक दस्तावेज है, ऐसे विलम्ब की जांच करनी आवश्यक है।

मामले को दिसम्बर 2014 में मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था और उत्तर अभी प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2015)।

सिफारिश संख्या 3

मंत्रालय द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब को दूर करने के लिए दो दिनों में पंजीकरण देने के संकल्प के मद्देनजर, लेखापरीक्षा सुझाव देती है कि भौतिक सत्यापन को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

3.3 रिटर्न (आरईटी)

प्रत्येक निर्धारिती विभाग द्वारा प्रस्तुत दो सुविधाओं में से एक के चयन द्वारा सीएक्स और एसटी रिटर्न इलैक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा:

(क) ऑनलाइन फाइल करें, अथवा

(ख) ऑफ-लाइन रिटर्न उपयोगिताएं डाउनलोड करें, जो कि आराम से भरी जा सकती है और इंटरनेट द्वारा प्रणाली में अपलोड की जा सकती है, अथवा

अपलोडिंग के बाद, ऑफ लाइन रिटर्न एसीईएस की अंतनिर्हित वैधीकरण के अधीन होती हैं और तब एसीइएस फाइल किए गए रिटर्नों की स्थिति दर्शाता है। उचित सुधार करने के बाद अस्वीकृत रिटर्न को पुन: प्रस्तुत किया जायेगा। सभी रिटर्नों को अंकीकृत और प्रणाली में संचित किया जायेगा। तब सॉफ्टवेयर, पंजीकरण संख्या (यह वैधीकरण केवल उन रिटर्नों के लिए है जो कि ऑफलाइन उपयोगिता द्वारा फाइल किए गए हैं) वर्गीकरण, अधिसूचना शुल्क की दर, शुल्क भुगतान के लिए प्रयुक्त चालान आदि जैसे सूचना की शुद्धता के लिए जांच करेगा। कोई त्रुटि जिसे प्रणाली द्वारा ठीक नहीं किया गया है को आरओ की स्क्रीन पर आरएनसी के लिए भेजा जाएगा।

रिटर्नों को बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर कम जोखिम मापदण्डों से गुजरना होता है और एसआरएस के अनुसार जोखिम पूर्ण या गैर-जोखिम पूर्ण चिन्हित किया जाता है। एसी/डीसी यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या आगे की कार्यविधि आरंभ करती है जैसे कि इकाई को लेखापरीक्षा या गैर-अपवंचन प्रक्रिया के अधीन करना है। संवीक्षा के परिणाम के तौर पर, यदि कोई भी अंतरीय शुल्क को विभाग द्वारा एकत्रित किया जाना है, तो प्रणाली डीएसआर मॉड्यूल द्वारा कारण बताओ नोटिस तैयार करने में अधिकारी को सहायता प्रदान करेगी।

3.3.1 एसएसआई के संदर्भ में एसआरएस दस्तावेज के अनुसार सॉफ्टवेयर का विकास

जैसाकि एसआरएस दस्तावेज में परिकल्पित है, जब भी एक लघु उद्योग (एसएसआई) निर्धारिती ईआर-3 रिटर्न फाइल करता है, प्रणाली निकासी के कुल मुल्य की गणना करता है और जब अगली रिटर्न आती है तो इस राशि को बढाता है। यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी का कुल योग ₹ चार करोड़ रूपये से अधिक होता है, निर्धारिती को अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी गैर-एसएसआई इकाई के तौर पर चिन्हित किया जाता है। नये वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, निर्धारिती को यह स्मरण कराया जाता है कि उसने सीमारेखा पार कर दी है और यह कि उसे एक ईआर-1 रिटर्न फाइल करनी होगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एसएसआई द्वारा सीमा रेखा प्राप्त करने की आवश्यकता मॉड्यूल में उपलब्ध नहीं थी।

कोचीन आयुक्तालय ने कहा कि कई अवसरों पर पिछले वर्ष के टर्न ओवर पर निर्भर करते हुए ईआर-3 रिटर्न फाइल करने वाले निर्धारिती ईआर-। रिटर्न फाइल करने वाले एवं विपरीत में परिवर्तित हो गये थे। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के अंतरण के दौरान एसीईएस पिछली अवधि के लिए रिटर्न ढूटंने योग्य नहीं होगा क्योंकि सिस्टम उसी प्रकार के रिटर्न को ढूंढता रहेगा। उसी निर्धारिती के एसएसआई में या से अंतरण के मामले में प्रणाली को पिछली रिटर्न (रिटर्न के प्रकार पर ध्यान दिए बिना) को ढूंढना चाहिए।

जब हमने यह बताया (मार्च 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि निर्धारितीवार विस्तृत रिपोर्ट और इलैक्ट्रॉनिक वेयरहाउस डाटा को एक विशेष निर्धारिती के एसएसआई की माफी की स्वीकार्यता की जांच करने के लिए सह - संबंधित होने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा समझती है कि क्योंकि जैस कि उपरोक्त उल्लेखित विवरण एसीईएस में ईआर-3 में उपलब्ध है, सभी विवरणों को स्वयं एसीईएस में लाना बहुत आसान है और ईआर-3 से ईआर-1 में अंतरण या विपरीततया को अधिसूचित और एसीईएस में सह-संबंधित किया जा सकता है।

3.3.2 एसटी-3 प्रपत्र में विवाद समाधान का रूपांकन

एसटी रिटर्न की फाइलिंग से संबंधित एसआरएस दस्तावेज की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लंबित प्रतिदाय मांग, एससीएनएस, पुष्टि मांग, बकाया के मामले आदि संबंधित फील्ड, एसटी-3 रिटर्न प्रपत्र में परिकल्पित किया गया था। तथापि, यह फील्ड एसीईएस अनुप्रणाली में उपलब्ध एसटी-3 प्रपत्र में नहीं पाई गई थी।

जब हमने यह बताया (मार्च 2015) तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि सीबीईसी द्वारा अधिसूचित एसटी-3 प्रपत्र प्रदान किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकृत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने एसटी-3 रिटर्न के फॉमेट के परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया था। एसटी-3 रिटर्न की प्राप्ति पर लंबित प्रतिदाय मांग, एससीएनएस, पुष्ट मांग आदि का विवरण एसीईएस में उपलब्ध डाटा से लिया जा सकता है जैसाकि एसआरएस दस्तावेज में परिकल्पित है।

मंत्रालय ने आगे कहा (नवम्बर 2015) कि जब एमआईएस बना लिया जाएगा तब इससे लंबित प्रतिदाय दावे, एससीएन, निश्चित मांग सृजित किए जा सकते हैं।

3.3.3 समीक्षा और सुधार के लिए रिटर्न का चयन

एक सरल प्रणाली के तौर पर, रिटर्न मॉड्यूल को केवल उन रिटर्न का चयन करने की आवश्यकता थी जहां पर मॉड्यूल द्वारा की गई प्रारंभिक संवीक्षा के दौरान कुछ त्रुटियां/विसंगतियां होती हैं।

निम्न तालिका अक्तूबर 2009 से जून 2014 के दौरान फाईल और समीक्षा की गई सीएक्स और एसटी रिटर्न के आरईटी मॉड्यूल के निष्पादन का वर्णन करती है:-

तालिका संख्या 2

शुल्क/कर	एसीईएस में फाइल की गई	आरएण्डसी के लिए चिन्हित रिटर्न	आरएनसी के लिए चिन्हित एवं 30 जून 2014 तक संवीक्षा के

	रिटर्न की संख्या		लिए लम्बित रिटर्न
सीएक्स	44,92,327	42,52,888 (94.67 प्रतिशत)	11,08,413 (26.06 प्रतिशत)
एसटी	55,04,165	29,56,738 (53.72 प्रतिशत)	21,80,164 (73.74 प्रतिशत)

स्रोत: डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि बहुत अधिक संख्या में रिटर्न्स (95 और 54 प्रतिशत) सीएक्स और एसटी दोनों के लिए आरएनसी चिन्हित किए जा रहे हैं। यह भी देखा गया है कि 31,44,475 (सीएक्स) और 7,76,574 (एसटी) रिटर्न्स आरएनसी में किए गए थे, इस प्रकार सीएक्स और एसटी के क्रमश: 26 और 74 प्रतिशत रिटर्न्स लंबित के रूप में चिन्हित करने से छूट गए।

निम्नलिखित तालिका चयनित सीडीआर में अक्तूबर 2009 से जून 2014 के दौरान फाइल किए गए और समीक्षा किए गए सीएक्स और एसटी रिटर्न्स के आरईटी मॉड्यूल का निष्पादन दर्शाती है:-

तालिका संख्या 3

शुल्क/कर	**एसीईएस में फाइल की गई रिटर्न की संख्या**	**आरएण्डसी के लिए चिन्हित रिटर्न**	**आरएनसी के लिए चिन्हित एवं 30 जून 2014 तक संवीक्षा के लिए लम्बित रिटर्न**
सीएक्स	16,36,255	15,33,541 (93.72 प्रतिशत)	4,53,178 (29.55 प्रतिशत)
एसटी	33,49,015	17,98,351 (53.70 प्रतिशत)	13,79,980 (76.74 प्रतिशत)

स्रोत: डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

जैसाकि उपरोक्त दिखाया गया है बहुत अधिक आरएनसी के लम्बन के परिणामस्वरूप मामलों में समय का अभाव और राजस्व की आनुषंगिक हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रणाली ने छोटी सी त्रुटि के लिए भी रिटर्न को आरएनसी के लिए चिन्हित किया जो कि उचित/मजबू प्रमाणीकरण डालने पर प्रारंभिक रूप से ही जांची/हटाई जा सकती थी। लेखापरीक्षा ने आरएनसी के लिए बहुत अधिक रिटर्नों को चिन्हित करने के लिए निम्न कारण निर्धारित किए:-

(i) वर्तमान महीने का अथशेष पिछले महीने का अंत शेष होना चाहिए। किंतु एसीईएस में, अथशेष प्रविष्ट करने का विकल्प निर्धारिती को दिया गया है। इस लेखे में अथशेषों की गलत प्रविष्टि के कारण बहुत सी रिटर्न को आरएनसी के लिए चिन्हित किया गया।

जब हमने यह बताया (मार्च 2015) तब मंत्रालय ने आपत्ति पर सहमति के साथ कहा (अक्तूबर 2015) कि इसे परिशोधित किया जा रहा है।

(ii) निर्धारिती के लिए ब्याज देयता प्रविष्ट करने की सुविधा भी है जबकि सिस्टम में सिस्टम डाटाबेस के तहत उपलब्ध सूचना के आधार पर स्वत: ही ब्याज की गणना करने की क्षमता है। सिस्टम द्वारा गणित और निर्धारिती द्वारा प्रविष्ट ब्याज की बेमेलता के कारण ही रिटर्नों की बहुत बड़ी संख्या को आरएनसी के लिए चिन्हित किया गया।

जब हमने यह बताया (मार्च 2015) तब मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि एसीईएस में निर्धारिती द्वारा भुगतेय पूरे ब्याज की गणना का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि नियमित शुल्क भुगतानों में चूक न्यायिक फोरम से आदेशों के आधार पर बकाया का भुगतान आदि जैसी विभिन्न परिस्थितियों में ब्याज देयता उत्पन्न हो सकती है।

लेखापरीक्षा समझती है कि जबकि भुगतानों में चूक के कारण ब्याज की गणना एसीईएस द्वारा की जा सकती है, ब्याज के अन्य परिदृश्यों को डीएसआर मॉड्यूल को लिंक करके पकड़ा जा सकता है।

(iii) रिटर्न मॉड्यूल की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि रेंज अधीक्षक ने तिथिक्रम में आरएनसी के लिए चिन्हित सीएक्स रिटर्नों की संवीक्षा की थी। जब तक एसी/डीसी अपने सिस्टम में संवीक्षित रिटर्न को नहीं हटाता है, रेंज अधीक्षक आगे सीएक्स रिटर्न की संवीक्षा नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप, जब तक पिछले माह की रिपोर्ट सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा निपटाई/संवीक्षित /समीक्षा नहीं की जाती, अनुवर्ती महीनों के लिए रिटर्न भी संवीक्षा/समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं होती है।

जब हमने यह बताया (दिसम्बर 2014) तब मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि आरएनसी पर समिति की संस्तुतियों के आधार पर, आरएनसी वर्कफ्लो से एसी/डीसी को अलग करना निर्धारित किया गया है और उसे कार्यान्वयन के लिए लिया जा रहा है।

तथापि, लेखापरीक्षा की आगे सलाह है कि जांच एवं शेष सुनिश्चित करने के लिए एसी/डीसी को अधीक्षक द्वारा समीक्षित रिटर्नों की यादृच्छिकता से नमूना जांच करने की आवश्यकता हो सकती है।

3.4 अनंतिम निर्धारण (पीआरए)

यदि स्वत: निर्धारण संभव नहीं है तो अनंतिम निर्धारिती अंनतिम निर्धारणके अनुरोध के लिए एसीईएस में उपलब्ध सुविधा का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त निर्धारिती अनंतिम निर्धारण के विस्तार के अनुरोध भी एसीईएस के माध्यम के कर सकता है। अधीक्षक भी निर्धारिती की ओर से अनंतिम निर्धारण अनुरोध फाइल कर सकता है। एसी/डीसी अनंतिम निर्धारण की आवश्यकता का पता लगाने के लिए अनुरोध की जांच करेगा और पीआरए मॉड्यूल में अनंतिम निर्धारण आदेश बनाएगा। वह बांड राशि और प्रतिभूति राशि भी विनिर्दिष्ट करेगा। यह अनंतिम निर्धारण आदेश को 6 महीनों के भीतर अंतिम रूप देना होता है। इस संबंध में निर्धारिती एक बी-2 बॉड फाइल करता है जो अधीक्षक द्वारा एसीईएस में प्रविष्ट और एसी/डीसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनंतिम निर्धारण के विस्तार की दशा में, पहली बार अतिरिक्त छह महीनों के लिए आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाता है और बाद में मुख्य आयुकत द्वारा और अनुमोदन एसीईएस द्वारा किया जाता है।

3.4.1 पीआरए मॉड्यूल की अल्प उपयोगिता

यह देखा गया कि आरंभ से जून 2014 तक, निर्धारितियों द्वारा पूरे भारत में केवल 337 (सीएक्स) और 2,450 (एसटी) और चयनित आयुक्तालयों में केवल 129 (सीएक्स) और 1,640 (एसटी) अनंतिम निर्धारण अनुरोध फाइल किए गए थे। ***तथापि, पीआरए मॉड्यूल द्वारा कोई भी अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।***

जब हमने यह बताया (मई 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि अनंतिम निर्धारण मॉड्यूल की उपयोगिता निर्धारिती की आवश्यकता पर निर्भर करती है और वह आवश्यकता पर आधारित और वैकल्पिक होता है।

3.4.2 निष्कर्ष

निर्धारिती द्वारा इस मॉड्यूल की अनुपयोगिता यह दर्शाती है कि यह मॉड्यूल प्रयोक्ता मैत्रीपूर्ण नही है। आगे, मॉड्यूल में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत अनुरोध एसीईएस द्वारा प्रसंस्कृत नहीं किया गया था जो कि विभागीय उपयोगकर्ता स्तर पर भी मॉड्यूल की गैर स्वीकृतिकी और संकेत करता है।

इस प्रकार एसीईएस में अनंतिम निर्धारण की फाइलिंग और प्रसंस्करण को उपयोगकर्ता मैत्रीपूर्ण बनाने की और निर्धारिती एवं विभाग के लिए अनिवार्य करने की आवश्यकता है।

3.5 निर्यात (इएक्सपी)

उत्पादक निर्यातक, श्रेष्ठी निर्यातक, निर्यात गोदाम और निर्यात अभिविन्यस्त इकाईयों का व्यवहार करने वाले चार प्रकार के निर्धारिती द्वारा निर्यात मॉड्यूल की प्रक्रिया क्रियान्वित की जाती है।

एक उत्पादक निर्यातक को एआरई-1 और एआरई-2 प्रपत्रों के साथ क्षेत्राधिकारी एसी/डीसी के साथ निर्मित और निर्यातिक माल के संबंध में इनपुट -आउटपुट अनुपात पर एसीईएस के माध्यम से एक घोषणा पत्र फाइल करने की आवश्यकता है। एक मरचेट निर्यातक को निर्यातों से संबंधित अभिक्षक के साथ सीटी-1 प्रमाण-पत्र, वेयर हाउसिंग का प्रमाण-पत्र (सीओडब्ल्यू) और एआरई-1 प्रपत्र फाइल करने की आवश्यकता है। एक निर्यात वेयरहाउस निर्यातक को निर्यातों के अभिक्षक के साथ सीटी-2 प्रमाण-पत्र और सीओडब्ल्यू फाइल करने की आवश्यकता है। ईओयू को निर्यातों के लिए सीटी-3 प्रमाण-पत्र, सीओडब्ल्यू, और एआरई-1 प्रपत्र फाइल करने की आवश्यकता है। निर्यात वेयरहाउस निर्यातक और ईओयू माल के डीटीए में पथांतरण के लिए एक प्रार्थना-पत्र भी फाइल कर सकता है।

सेवाओं के निर्यात की दशा में कोई निर्यात मॉड्यूल उपलब्ध नहीं था।

3.5.1 निर्यात मॉड्यूल की उपयोगिता

निम्न तालिका निर्यात मॉड्यूल की उपयोग को वर्णित करती है: -

तालिका संख्या 4

स्थिति	अवधि	एआरई-1	एआरई-2	सीटी-1	सीटी-2	सीटी-3	वेयरहाउसिंग का प्रमाण-पत्र	कुल
सम्पूर्ण भारत डाटा	2009-10 to 06/14	4,814	4	104	1	1	1	4,925
चयनित सीडीआर	2009-10 to 06/14	3,491	0	104	1	1	1	3,598

स्रोत: डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि इसके प्रारंभ से जून 2014 तक सम्पूर्ण भारत और चयनित आयुक्तालयों में निर्धारितियों द्वारा 4,925 और 3,598 क्रमानुसार विभिन्न प्रपत्र एसीएस द्वारा फाइल किए गए थे। चूंकि डाटा में उपरोक्त प्रपत्रों पर की गई कार्रवाई का विवरण नहीं था, लेखापरीक्षा विभागीय उपयोगकर्ताओं के निष्पादन पर टिप्पणी की अवस्था में नहीं है।

डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रदत्त डाटा की विसतृत संवीक्षा ने दर्शाया कि 34 चयनित सीएक्स आयुक्तालयों में से 33 में, सीटी-1, सीटी-2, सीटी-3 और वेयरहाउसिंग प्रमाण-पत्र फाइल करने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता ने इएक्सपी मॉड्यूल सुविधा का लाभ नहीं उठाया था। किसी भी चयनित आयुक्तालय में एआरई-।। प्रपत्र एसीईएस द्वारा फाइल नहीं किया गया था। इसी प्रकार, केवल 8 आयुक्तालयों में, एआरई-। प्रपत्र फाइल किया गया था। उपरोक्त डाटा दर्शाता है कि इस मॉड्यूल का उपयोग बहुत ही कम किया गया था।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि ईएक्सपी मॉड्यूल की उपयोगिता की मात्रा निर्धारिती की आवश्यकता और इच्छा पर आधारित होती है।

लेखापरीक्षा आगे सलाह देता है कि मंत्रालय इस मॉड्यूल की न्यून उपयोगिता के कारण का पता लगा सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि निर्यात दस्तावेजों के विवरण एसीईएस में रखे गए थे जो कि एक क्लिक पर ईओयूज

द्वारा डीटीए निकासी जैसे मुद्दों के दोबारा सत्यापन में विभाग की मदद करता है।

3.5.2 निष्कर्ष

इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग में अब भी भौतिक दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता है और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल प्रदान नहीं करता है। यह सब इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रक्रिया को एक अतिरिक्त/वैकल्पिक पद्धति बनाता है जिसका अन्यथा उपलब्ध हस्तचालित प्रसंस्करण में ध्यान रखा जा सकता था। परिणामस्वरूप, लगभग सभी आयुक्तालयों में ईएक्सपी मॉड्यूल की सकल न्यून उपयोगिता है।

अत: उन अवरोधों का पता लगाने और हटाने की आवश्यकता है जो कि निर्यात मॉड्यूल के उपयोग को रोकता है और तब निर्यात मॉड्यूल द्वारा निर्यात दस्तावेजों के प्रसंस्करण में निहित सभी गतिविधियों के समयबद्ध समापन और फाइलिंग को अनिवार्य करना चाहिए।

3.6 प्रतिदाय (आरईएफ)

प्रतिदाय मॉड्यूल में निर्धारिती के लिए प्रतिदाय/छूट के दावे फाइल करने का एक प्रावधान है और यह अधीक्षक के कार्यप्रवाह में दिखाई देता है जो संवीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी करता है। संवीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिदाय आवेदन एसी/डीसी को समीक्षा के लिए अग्रेषित किया जाता है। अनुमोदन के पश्चात् एसी/डीसी उक्त को अधीक्षक को वापस भेजता है। दावा प्राप्ति पर, अधीक्षक डीएसआर मॉड्यूल के उपयोग द्वारा प्रतिदाय/छूट के लिए जहॉ आवश्यक हो एक केस पोर्टफोलियो बनाता है और एसी/डीसी को प्रस्तुत करता है। जो प्रतिदाय आदेश को तैयार करता है और अनुमोदित करता है तथा प्रावधानों के अनुसार पूर्व-लेखापरीक्षा/पश्च लेखापरीक्षा के लिए अधीक्षक (लेखापरीक्षा सेल) को भेजता है। लेखापरीक्षा सेल का अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी एसी/डीसी, के द्वारा

जारी किये गये प्रतिदाय आदेश पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है और एसी/डीसी (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करता है जो लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां देता है।

3.6.1 प्रतिदाय मोड्यूल की उपयोगता

अग्रलिखित तालिका प्रतिदाय मोड्यूल के निष्पादन को दर्शाती है:-

तालिका संख्या 5

क्षेत्राधिकार	सीएक्स		एसटी	
	एसीईएस द्वारा फाईल किया गया प्रतिदाय अनुरोध	एसीईएस द्वारा संसाधित प्रतिदाय अनुरोध	एसीईएस द्वारा फाईल किया गया प्रतिदाय अनुरोध	एसीईएस द्वारा संसाधित प्रतिदाय अनुरोध
सपूर्ण भारत का डाटा	1,40,922	88,590	15,285	112
चयनित सीडीआरएस	22,394	10,875	5,530	105

स्रोतः डीजी (सिस्टम) द्वारा दिये गये आंकड़े

यह देखा गया कि इसके आरंभ से जून 2014 तक 1,40,922 (सीएक्स) और 15,285 (एससी) प्रतिदाय अनुरोध निर्धारितियों द्वारा एसीईएस के माध्यम से

फाईल किये गये थे। इनमें से, विभाग ने केवल 88,590 (62.86 प्रतिशत) और 112 (0.73 प्रतिशत) क्रमश: सीएक्स और एसटी प्रतिदाय ममले एसीईएस में प्रतिदाय मोड्यूल द्वारा प्रसंस्कृत किये।

यह भी अवलोकन किया कि इसके आरंभ से जून 2014 तक 23,394 (सीएक्स) और 10,875 (एसटी) प्रतिदाय अनुरोध चयनित सीडीआर में निर्धारितियों द्वारा एसीईएस के माध्यम से फाईल किये गये। इसमें से, विभाग ने केवल 5530 (24.69 प्रतिशत) और 105 (0.97 प्रतिशत) क्रमश: सीएक्स और एसटी प्रतिदाय मामले एसीईएस में प्रतिदाय मोड्यूल द्वारा प्रसंस्कृत किये।

इसी अवधि के दौरान, विभाग ने मैन्यूली चयनिति आयुक्तालयों में सीएक्स और एसटी के लिए के लिए क्रमश: 44,683 और 2,566 मामलों में प्रतिदाय संस्वीकृत किया।

उदाहरणार्य कुछ मामले नीचे दर्शाये गये हैं:-

(i) कोलकाता आयुक्तालय में, कोई प्रतिदाय आवेदन निर्धारितियों द्वारा एसीईएस के माध्यम से फाईल नहीं किया गया।

(ii) दिल्ली -।। (सीएक्स) आयुक्तालय के दो चयनित मंडलों में, विभाग द्वारा मैन्यूली प्रसंस्कृत प्रतिदाय आवेदन के 1,033 मामले थे। यद्यपि, केवल तीन प्रतिदाय आवेदन ही एसीईएस द्वारा प्राप्त किये गये थे।

(iii) 27 आयुक्तालयों में, 13,215 सीएक्स और एसटी प्रतिदाय आवेदन निर्धारिती द्वारा मोड्यूल में फाईल किये गये थे, विभागीय उपयोक्ता द्वारा कोई भी आवेदन प्रतिदाय मोड्यूल से प्रसंस्कृत नहीं किया गया था।

एसीईएस द्वारा प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति और निपटान (सितम्बर 2014 से मार्च 2015 के बीच) से संबंधित चयनित आयुक्तालयों से हमारे प्रश्नों के उत्तर में, बैंगलुरू-। आयुक्तालय ने कहा (जनवरी 2015) कि सभी निर्धारिती प्रचुर दस्तावेज, जिन्हें एसीईएस में निर्धारिती अपलोड नहीं कर पाते हैं, के कारण एसीईएस में प्रतिदाय आवेदन वर्तमान में नहीं भर रहे हैं।

जब हमने यह बताया (मई 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि लगभग 1.4 लाख प्रतिदाय दावे एसीईएस मे फ़ाइल किये गये और इनमे से

0.88 लाख एसीईएस मे प्रसंस्कृत किये गये। व्यक्तिगत मामलो पर मंत्रालय मौन है।

समीक्षावधि के दौरान निर्धारितियों द्वारा अनुरोध किये गये 10.5 लाख प्रतिदाय दावो के प्रति, एसीईएस मे केवल 1.56 लाख प्रतिदाय दावे (अर्थात 15 प्रतिशत) प्राप्त किये गये थे, जो इस मॉड्यूल का कम उपयोग दर्शाते हैं। मंत्रालय को उक्त के कारणों के विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

3.6.2 निष्कर्ष

प्रतिदाय दावे के लिए निर्धारित की मैन्यूली प्राथमिकता यह दर्शाती है कि निर्धारितियों को ऑनलाइन प्रक्रिया जटिल लगती है।

एसीईएस में आवश्यक रूप से से निर्धारितियों द्वारा प्रतिदाय आवेदनो को भरना और विभागीय उपयोगकर्ताओ द्वारा उन पर कार्रवाई दोनों ही कार्य करने की आवश्यकता है। कागज रहित वातावरण और विभागीय अधिकारियों के साथ निर्धारितियों का हस्तक्षेप कम किये जाने के लिए एसीईएस द्वारा प्रतिदाय दावे भरने के लाभ के बारे मे विभाग निर्धारितियों को जागरूक कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अक्तूबर 2015) कि मैन्यूल फाइलिंग के कारणों में निर्धारितियों के बीच जागरूकता की कमी, संलग्न दस्तावेजों के आकार (दो एम बी से अधिक) आदि को शामिल किया जा सकता है। डीजी (सिस्टम) द्वारा इसके आधारभूत ढांचे तथा छमता में सुधार करने पर संलग्नक आकार को बढ़ाया जा सकता है। यधपि निर्धारितियों को शिक्षित करने के बारे में लेखापरीक्षा की सिफ़ारिशो और उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सामना की जा रही किसी समस्या का निपटान, कार्यान्वयन के लिए ध्यान में रखे जाएंगे।

3.7 दावे और सूचना

एसीईएस दावे और सूचना मॉड्यूल, दावों को एलेक्ट्रोनिक रूप से फ़ाइल करना, निर्धारितियों द्वारा सूचना और आदेश और विभागीय अधिकारियों द्वारा उनका प्रसंस्करण शामिल होता है। यह आवेदनों और निर्धारितियों द्वारा दिये गये सूचना तथा फ़ाइल किये गये कुछ दावों (शुल्क में छूट, सेनवेट ट्रांसफर और एएसीआई छूट) के रूप में हो सकता है। यह मोड्यूल केवल सीएक्स के लिए उपलब्ध है एसटी के लिए नहीं।

3.7.1 सीएलआई मॉड्यूल की उपयोगिता

लेखापरीक्षा ने एसआरएस दस्तावेज़ में परिकल्पित प्रत्येक निर्धारिती द्वारा सीएलआई मॉड्यूल द्वारा फ़ाइल किये जाने वाले दावों और प्रज्ञापनों का विश्लेषण किया।

निर्धारिती को वार्षिक रूप से[13] चालानों के प्रयोग करने से पहले सीएक्स के क्षेत्राधिकारी अधीक्षक को इन चालानों की क्रम संख्या और चालान पुस्तिका की संख्या बताना होता है। इसका तात्पर्य है कि व्यापार में प्रत्येक निर्धारिती वार्षिक रूप से कम से कम एक ऐसा सूचना फ़ाइल करता है। एसीईएस चयनित सीडीआर के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 31 मार्च 2014 तक, 91,921 पंजीकृत निर्धारिती थे, जिन्हे यह वार्षिक सूचना फ़ाइल करने की आवश्यकता थी।

इसी प्रकार, पंजीकरण के बाद किसी निर्धारिती को सामान की प्राप्ति, खरीद, निर्माण, भंडार, बिक्री और सुपुर्दगी सहित इनपुट और पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं[14] की प्राप्ति, खरीद और भुगतान के संबंध में लेन-देनो के लेखांकन हेतु उसके द्वारा तैयार या अनुरक्षित किये गये सभी रिकॉर्डो की

---

[13] पूरक निर्देशों की उत्पाद शुल्क आबकारी केन्द्रीय बोर्ड मैन्युअल क 2005 के अध्याय 4 के पैरा 3.1 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 11 (6) के अनुसार

[14] पूरक निर्देशों की उत्पाद शुल्क आबकारी केन्द्रीय बोर्ड मैन्युअल क 2005 के अध्याय 6 के पैरा 2.1 के अनुसार

सूची प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक निर्धारिती को पंजीकरण के बाद कम से कम एक सूचना फ़ाइल करना चाहिए। चयनित सीडीआर के डाटा के विश्लेषण में यह पता चला कि 2013-14 के दौरान 9,544 नए निर्धारिती पंजीकृत किए गए थे जिन्हे यह एक बार कि सूचना देने की आवश्यकता है।

यधपि, हमने पाया कि चयनित सीडीआर में 1,01,465 वार्षिक और एकल सूचना की न्यूनतम आवश्यकता के प्रतिकूल 2013-14 के दौरान केवल 35,629 दावे और सूचना इलेक्ट्रोनिक रूप से फ़ाइल किये गये थे।

इसके अतिरिक्त, डीजी (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराये गये पंजीकरण के सम्पूर्ण भारत के डाटा से पता चला कि 4.60 लाख पंजीकृत सीएक्स निर्धारिती हैं। यदि प्रति वर्ष प्रत्येक निर्धारिती से एक सूचना के न्यूनतम मानदंड को अपनाया जाये, तो निर्धारितियों से 2009-10 से 2013-14 के दौरान कम से कम 23 लाख सीएलआई होने चाहिए। यधपि, 2009-10 से 2013-14 के दौरान एसीईएस में प्राप्त सीएलआई केवल 2.76 लाख थे। यह दर्शाता है कि मॉड्यूल वैधानिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा सीएलआई मॉड्यूल में निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा पर की गई कार्रवाई को उपलब्ध नहीं कराया गया। अत: विभागीय स्तर पर इस मॉड्यूल की वास्तविक उपयोगिता का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।

3.7.2 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक अत्यंत साधारण मॉड्यूल होने के बावजूद, निर्धारिती/विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा सीएलआई मॉड्यूल की उपयोगिता न्यूनतम है। यह दर्शाता है कि एसीईएस द्वारा दावों और प्रज्ञापनों को फ़ाइल करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारीतियों को उपयुक्त रूप से नहीं समझाया गया था परिणामस्वरूप इस मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा सका।

सिफ़ारिश संख्या 4

इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग आवश्यक सूचनाओं जैसे चालान पुस्तिका, अभिलेख प्रबंधन के लिए आवश्यक बनाया जा सकता है और सीएलआई मॉड्यूल एसटी

के लिए भी आरंभ किया जा सकता है ताकि विभागीय अधिकारियों के साथ निर्धारितियों के इंटरफेस को कम किया जा सके।

मंत्रालय ने अपने उत्तर मे कहा (अक्तूबर 2015) कि सीएलआई मॉड्यूल की उपयोगिता निर्धारितियों पर आधारित होती है और कुछ आवश्यक सूचनाओं की अनिवार्य ई- फाइलिंग के लिए लेखापरीक्षा के सुझाव की कार्यान्वयन हेतु बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी। एसटी के लिए सीएलआई मॉड्यूल के विस्तार और दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकतानुसार कुछ मॉड्यूल के विकास पर मौजूदा आधारभूत ढांचे को अधतन करने के बाद विचार किया जा सकता है।

3.8 रिपोर्ट (आरईपी)

सीएक्स और एसटी दोनों बिभागीय उपयोगकर्ताओं के लिए रिपोर्ट मॉड्यूल उपलब्ध है तथा 16 प्रकार की रिपोर्ट सीएक्स के संबंध में तैयार की जा सकती है तथा 8 प्रकार की रिपोर्ट के संबंध एसटी के संबंध मे तैयार की जा सकती है।

3.8.1 चयनित सीडीआर मे रिपोर्ट मॉड्यूल के कार्य की नमूना जांच के दौरान हमने अग्रलिखित कमियां देखी:-

(i) क्षेत्रीय स्तर पर विशिष्ट रूप से निर्मित रिपोर्टों को तैयार करने के लिए मॉड्यूल में कोई सुविधा नहीं है।

(ii) बोर्ड द्वारा मांगे गये रिपोर्ट के फॉर्मेट एसीईएस में तैयार किये गये फॉर्मेट से अलग थे। इसलिए एसीईएस द्वारा तैयार की गई कुछ रिपोर्ट आगे रिपोर्टिंग के लिए उपयोगी नहीं थी और इस प्रकार, इन रिपोर्टों को मैन्यूली समेकित किया गया था।

(iii) मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) में रिपोर्ट किये जाने वाली सभी सूचना एसीईएस मे उपलब्ध है क्योकि सारा कार्य एसीईएस द्वारा किया जाता है। परंतु चयनित सीडीआर में उपयोगकर्ता मैन्यूली एमटीआर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे क्योकि निर्धारित एमटीआर फॉर्मेट एसीईएस में उपलब्ध नहीं है। एसीइएस के डाटा के साथ एमटीआर

द्वारा प्रगति रिपोर्ट की सूचना के सत्यापन के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

(iv) एलटीयू आयुक्तालयों का नाम एसीइएस के रिपोर्टिंग मॉड्यूल में मौजूद नही है।

3.8.2 कोलकाता III आयुकतालय में, हमने पाया कि सिस्टम द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सृजित "एसएसआई और गैर एसएसआई और अन्य इकाइयों से राजस्व पर रिपोर्ट मे अग्रलिखित पता चला:-

तालिका संख्या 6

इकाइयों की कुल संख्या	4,605
गैर एसएसआई इकाइयों की कुल संख्या	24,518
एसएसआई शुल्क अदा करने वाली इकाइयों की कुल संख्या	979
छूट उपयोग करने वाली एसएसआई इकाइयों की कुल संख्या	0
₹ एक करोड़ से अधिक पीएलए देने वाली इकाइयों की कुल संख्या	41
ईओयू की कुल संख्या	20
एसटीपी इकाइयों की कुल संख्या	1

तालिका से यह स्पष्ट है के 24,518 गैर एसएसआई इकाइयों की कुल संख्या एक जंक डाटा है क्योंकि यह आयुक्तालय की इकाइयों की कुल संख्या (4,605) से अधिक है। इस प्रकार सिस्टम में कई त्रुटियाँ और वैधता कमियाँ पाई गई।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2014), विभाग ने कहा (दिसंबर 2014) कि डीजी (सिस्टम) इससे अवगत था और एक नया एमआईएस रिपोर्ट मॉड्यूल प्रक्रियाधीन है।

सिफ़ारिश संख्या 5

मैन्युअल रिपोर्टिंग तथा रिपोर्ट संबन्धित त्रुटियों को कम करने के लिए समान्यत: विशेष रूप से तैयार रिपोर्टों को बनाने के लिए तथा विशेष रूप से एमटीआर क्षेत्रीय स्तर पर एसीईएस में प्रावधान जोड़ा जा सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अक्तूबर 2015) कि जब तक सभी मॉड्यूलों में डाटा की पूर्णता और सटीकता को सुनिश्चित नहीं किया जाता, एसीईएस में तैयार की गई रिपोर्ट पूर्ण नहीं होगी। एसीईएस के सभी मॉड्यूल का प्रयोग करने के लिय निर्धारितीयों को प्रेरित करना और सहमत करना ही इसका उपचार है ताकि सिस्टम में संगत डाटा प्राप्त किया जा सके। इसमें व्यापार क्षेत्र से परामर्श के बाद कार्य के कुछ क्षेत्रो मेँ व्यापार प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकी की आवश्यकता भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि क्योंकि पाँच वर्षो से अधिक अवधि से एसीईएस कार्यान्वन के अंतर्गत है, सभी मॉड्यूलों को संचालन योग्य बनाने के लिए और एसीईएस से अपेक्षित एमआईएस तैयार करने के लिय भी सिस्टम पुनर्गमन/अघतन करने की आवश्यकता है।

3.9 विवाद समाधान प्रस्ताव (डीएसआर)

एसीइएस आवेदन विवाद मामला फ़ाइल, जिसे केस पोर्टफोलियो कहा जाता है; में मामले का सार, और शामिल अनुमानित ड्यूटी, स्त्रोत दस्तावेज़ संख्या आदि होते हैं। केस पोर्टफोलियो मांग टिप्पण, कारण बताओ ज्ञापन (एससीएन) आदि के जारी करने से पहले तैयार किया जाता है। मांग टिप्पण अधिक्षक द्वारा तैयार किये जाते है। निर्धारिती एसीइएस द्वारा या मैन्यूली मांग टिप्पण का उत्तर दे सकते है।

यदि निर्धारिती मॉग पत्र पर मैनुअली उत्तर देता है, अधीक्षक को एसीईएस में उत्तर को संग्रहित करना पड़ता है। मॉग पत्र और निर्धारिती के उत्तर, यदि कोई हों, तो उसके आधार पर अधीक्षक एक ड्रॉफ्ट एससीएन बनाएगा। वह मॉग-पत्र जारी किए बिना भी ड्रॉफ्ट एससीएन बना सकता है। उपरोक्त के अलावा अधीक्षक-निर्धारिती से बकाए की वसूली के लिए वसूली अनुरोध कर सकता है, किसी गैर-वसूल योग्य बकाए के मामले में अनुरोध कर सकता है, किसी गैर-वसूलीयोग्य बकाए के मामले में अनुरोध खारिज कर सकता है, मामले के निपटान आदि के मामले में मामला निपटान रिपोर्ट बना सकता है।

एसी/डीसी ड्रॉफ्ट एससीएन को मंज़ूर कर सकते हैं। वह सभी पीएच के मामले में एसीईएस के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) ज्ञापन बना सकता है। वह ऐसे सभी मामलों में मूल आदेश (ओआईओ) भी जारी कर सकता है, जहॉ ओआईओ जारी कर दिया गया हो और इसे आयुक्तालय के समीक्षा सेल में अग्रेषित कर सकता है। यदि एक बार ओआईओ जारी कर दिया जाता है तो आयुक्तालय/मुख्य आयुक्तालय (सीसी) का समीक्षा सेल आदेश की समीक्षा कर सकता है। समीक्षा सेल की सिफारिशों के आधार पर आयुक्त अथवा सीसी ओआईओ के विरूद्ध एक अपील फाईल करने हेतु क्षेत्राधिकारी अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को निर्देश देते हुए एक समीक्षा आदेश पारित करेगा।

असंतुष्ट पक्ष विभाग द्वारा आदेश के विरूद्ध अपील कर सकते हैं। यदि निर्धारिती या विभागीय कर्मचारी क्षेत्राधिकारी प्राधिकारी का आदेश नहीं मानता है तो वे ओआईओ के विरूद्ध अपील कर सकते हैं। ईए-2 अपील एसी/डीसी द्वारा की जाती है और इस पर आयुक्त की मंज़ूरी आवश्यक है। आयुक्त (अपील), एसीईएस के माध्यम से अपील प्राप्त करेगा और इस अपील में आदेश पारित करेगा। अपील में आदेश जारी करने से पूर्व वह मामले में व्यक्तिगत सुनवाई करेगा। तिथि और समय निर्धारित करने के लिए उसे एसीईएस के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई ज्ञापन बनाना आवश्यक है। आयुक्त (अपील) द्वारा आदेश के प्रति सीईएसटीएटी में आवेदन दाखिल करने हेतु आयुक्त एसीईएस में अपील ईए-5 फार्म बनाएगा।

3.9.1 डीएसआर माड्यूल का उपयोग

यह देखा गया कि जून 2014 के शुरूआत से एसीईएस के माध्यम से केवल 10,277 एससीएन बनाए गए थे, 6,161 एससीएन जारी किए गए थे और सम्पूर्ण भारत में 3,785 मूल आदेश जारी किए गए थे।

निम्नलिखित तालिका चयनित आयुक्तालयों में डीएसआर माड्यूल का उपयोग दर्शाता है:-

तालिका संख्या 7

	सृजित एससीएन	जारी एससीएन	जारी ओआईओ
केन्द्रीय उत्पाद	5,737	4,013	2,938
सेवा कर	297	231	96
कुल	6,034	4,244	3,034

स्रोत: डीजी (सिस्टम्स) द्वारा दिए गए आंकड़े

बनाए गए एससीएन, जारी किए गए एससीएन और मैनुअली जारी किए गए ओआईओ लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। अत: लेखापरीक्षा में सम्पूर्ण कार्यभार के संदर्भ में डीएसआर माड्यूल उपयोग की गणना नहीं की जा सकी।

यह देखा गया कि 40 चयनित आयुक्तालयों में से 12 आयुक्तालयों में कोई भी एससीएन नहीं बनाये गए थे, 16 आयुक्तालयों में कोई एससीएन नहीं जारी किए गए थे और 26 आयुक्तालयों में एसीईएस के माध्यम से कोई भी ओआईओ नहीं जारी किए गए थे।

यह देखा गया कि विभागीय प्रयोगकर्ताओं द्वारा डीएसआर माडयूल का उपयोग बहुत धीमा था। यहॉ तक कि ऐसे मामलों में भी जहॉ डीएसआर में निहत प्रक्रिया प्रयोकर्ताओं द्वारा डीएसआर माडयूल में भी शुरू की गई थी, बाद में इसे मैनुअली किया जाने लगा जैसाकि बनाए गए एससीएन और जारी एससीएन की संख्या और एसीईएस में बनाए गए एससीएन और ओआईओ की संख्या में अंतर से स्पष्ट है।

3.9.2 निष्कर्ष

डीएसआर माड्यूल के स्वचालन के बावजूद विभागीय अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के अभाव में हाथ से हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेजों की अभी भी

अनिवार्य आवश्यकता है। प्रणाली में अत्यधिक संख्या में दस्तावेज अपलोड करने में भी प्रतिबंध है।

लेखापरीक्षा अनुभव करती है कि माड्यूल के डिजाइन की इस माड्यूल का प्रयोग करने वाले अधिकारियों से निष्कर्षों के साथ फिर से जॉच की जाए और स्वीकार्यता में वृद्धि के लिए समस्याओं का निवारण किया जाए।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015) कि डीजी (सिस्टम्स) ने एक अध्ययन किया है और निष्कर्षों के आधार पर अपेक्षित संशोधन किया जाएगा, जब आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया जाएगा और नए वेंडर एसीईएस परियोजना का प्रभार ले लेंगे। प्रयोग में सुधार किया जा सकता है यदि इसके प्रयोग को अनिवार्य बना दिया जाए।

3.10 लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा सेल लेखापरीक्षा योजना, आवंटन, समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा सेल लेखापरीक्षा विंग के प्रत्येक नियुक्त अधिकारी के प्रोफाइल का भी अनुरक्षण करता है। एसीईएस लेखापरीक्षा माड्यूल में जैसे ही एक अधिकारी लेखापरीक्षा विंग में ज्वाइन करता है तो सहायक आयुक्त (लेखापरीक्षा विंग) (एसीएडब्ल्यू) को उस अधिकारी की ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनाने के साथ-साथ रिपोर्टिंग अधिकारी को लेखापरीक्षा सेल या लेखापरीक्षा दल या संसाधन पूल द्वारा इसका पूर्णत: अनुमोदन किया जाता है।

एसीएडब्ल्यू द्वारा एक लेखापरीक्षा दल बनायी जाए और इस पर एसीईएस में संयुक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा विंग) (जेसीएडब्ल्यू) द्वारा अनुमोदन दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा योजना पंजिका: इस माड्यूल में एक लेखापरीक्षा योजना पंजिका बनाने और एसीएडब्ल्यू द्वारा एपीआर से चालू वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों के चयन का प्रावधान है।

अनुमोदित एपीआर, लेखापरीक्षा की शुरूआती और समाप्ति तिथियों से लेखापरीक्षा दलों को इकाई के आवंटन के लिए एसीएडब्ल्यू द्वारा तिमाही कार्यक्रम पर मंजूरी देगा।

लेखापरीक्षा आयोजित करने के पूर्व, लेखापरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षक को एक लेखापरीक्षा योजना बनानी पड़ती है और जेसीएडब्ल्यू द्वारा इस पर मंजूरी लेनी पड़ती है। लेखापरीक्षा योजना बनाने हेतु डेस्क समीक्षा, राजस्व जोखिम विश्लेषण, रूझान विश्लेषण, वित्तीय एवं कर संगणना आदि जैसे विवरणों को पहले फीड किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा समाप्ति के पश्चात् एक ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (डीएआर) बनाया जाए और इसे एसीईएस के माध्यम से मंजूरी दी जानी चाहिए।

सभी अनुमोदित डीएआरज की पुनरीक्षा पुनरीक्ष डीएआरज के माध्यम से मॉनीटरिंग समिति द्वारा की जाएगी। मॉनीटरिंग समिति फिर डीएआर के संबंध में लेखापरीक्षा स्केरिंग प्रदान करेगी। लेखापरीक्षा स्कोरिंग के समापन पर एक अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपने आप से सृजित होगी।

लेखापरीक्षा माड्यूल की कार्य-प्रणाली

एसीईएस माड्यूल की जॉच के दौरान यह देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में मैनुअल प्रणाली को एकदम से समाप्त करने के लिए माड्यूल में सरल कम्प्यूटरीकृत संस्करण के प्रावधान थे और उपयोगिता अनुपात पर बहुत धीमे थे। एक निर्धारित इकाई की लेखापरीक्षा शुरू करने के पहले कार्य में 11 चरण शामिल हैं और लेखापरीक्षा का वास्तविक कार्य शुरू करने से पूर्व प्रत्येक चरण में 3 से 18 अलग-अलग फार्म भरे जाते हैं।

लेखापरीक्षा माड्यूल के एसआरएस दस्तावेज की नमूना जॉच के दौरान और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखापरीक्षा माड्यूल की कार्य प्रणाली/कार्यों के मद्देनजर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई:-

3.10.1 लेखापरीक्षा का प्रोफाइल बनाना/अनुरक्षण करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमावली, 2008 के पैरा 3.2.2 के अनुसार लेखापरीक्षा सेल को प्रत्येक लेखापरीक्षक का प्रोफाइल रखना चाहिए जिसमें अधिकारी की विशेषज्ञता, का उल्लेख करना चाहिए, यदि कोई हो।

अधिकारी के प्रोफाइल अनुरक्षण (एयूडी 02 और एसटीएक्स 17) से संबंधित सीएक्स और एसटी के एसआरएस दस्तावेज की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट में प्रदान की गई सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा स्वचालित प्रोफाईल बनाने और लेखापरीक्षा सेल प्रशासन द्वारा लेखापरीक्षक का प्रोफाईल बनाने/संशोधन करने का प्रावधान है। इसी प्रकार, चाहे यह प्रावधान हो या न हो, इसकी जॉच की जानी चाहिए चूँकि लेखापरीक्षा माड्यूल के कार्य के नमूना जॉच के दौरान यह देखा गया कि न तो लेखापरीक्षा सेल में तैनात अधिकारियों को एक्सेस प्रदान किया गया था, न ही आयुक्तालय स्तर के कार्यालयों में लेखापरीक्षा माड्यूल कार्य करते हुए पाए गए।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि लेखापरीक्षा माड्यूल का एसआरएस डीजी लेखापरीक्षा के अधिकारियों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण के तहत बनाया जा रहा था और माड्यूल के पश्चात् डीजी लेखापरीक्षा के अधिकारियों द्वारा इसकी जॉच की गई थी और इसे एसआरएस के अनुरूप प्रमाणित किया गया था। कुछ आयुक्तालयों में प्रयोगकर्ताओं ने इसे पास ईए 2000[15] प्रक्रिया के अनुरूप पाया है और आगे बताया कि प्रत्येक आयुक्तालय में कॉम-प्रशासन आवश्यकतानुसार प्रयोगकर्ताओं को सक्रिय करता है और एसीईएस की भूमिका प्रदान करता है।

3.10.2 लेखापरीक्षा माड्यूल की उपयोगिता/क्रियाशीलता

चयनित आयुक्तालयों से इस माड्यूल की उपयोगिता की जॉच पर नौ[16] आयुक्तालयों ने कहा (सितम्बर 2014 और जनवरी 2015) कि लेखापरीक्षा माड्यूल सक्रिय/क्रियाशील नहीं पाया गया। दो आयुक्तालयों[17] ने कहा (नवम्बर 2014 और जनवरी 2015) कि हालांकि लेखापरीक्षा माड्यूल क्रियाशील पाए

---

[15] उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा (ईए) 2000, निर्धारिती के व्यवसायी अभिलेखा की संवीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा है

[16] अहमदाबाद-।।, अहमदाबाद (एसटी), बोलपुर, दिल्ली -।। (सीएक्स), दिल्ली (एलटीयू), गुवाहाटी, जपयुर-।, कोलकाता -। (एसटी) और सूरत-।।

[17] दिल्ली-।। (एसटी) और वड़ोदरा-।।

गए लेकिन समुचित जानकारी और प्रशिक्षण के अभाव में उनके द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया था।

जब हमने यह बताया (मई 2015), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि लेखापरीक्षा आयुक्तालयों और लेखापरीक्षा सेल के अधिकारियों की नई कार्यप्रणाली पर जानकारी और प्रशिक्षण दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सभी आयुक्तालयों को विस्तृत लेखापरीक्षा प्रक्रिया परिचालित की गयी है। डीजीएस चेन्नई इकाई ने कॉनकाल/सेवा डेस्क के माध्यम से कई लेखापरीक्षा आयुक्तालयों के कार्य की निष्पादन किया है।

मंत्रालय के दावे के बावजूद कि लेखापरीक्षा माड्यूल क्रियाशील है, डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा पूर्णत: सत्यापित था और स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया गया था, चयनित 40 आयुक्तालयों ने कहा कि या तो लेखापरीक्षा माड्यूल सक्रिय/क्रियाशील नहीं था अथवा समुचित जानकारी और प्रशिक्षण के अभाव में उनके द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया था।

3.10.3 निष्कर्ष

प्राथमिक अवलोकन में पता चला कि इस माड्यूल का उपयोग डिजाइन अवयवों के कारण नहीं हो सकता जो सम्पूर्ण मैनुअल प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने की आवश्यकता है।

विभाग अन्य माड्यूलों, (अर्थात् निर्धारितियों पर जानकारी) से स्वचालित रूप से सूचना लेते हुए माड्यूल की संरचना में बदलाव कर सकता है जो डेस्क समीक्षा ऑनलाइन बनाने और इसे सरल और प्रयोगकर्ता के अनुरूप बनाने में लेखापरीक्षा दल की सहायता करेगा।

3.11 माड्यूल पर सामान्य निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का मत है कि केवल तीन माड्यूल अर्थात एसीएल, पंजीकरण और रिटर्न माड्यूल का वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है।

सिफारिश संख्या 6

एसीईएस के कार्यान्वयन के पॉच वर्ष से अधिक समय बीत होने और विभाग/निर्धारितियों द्वारा पीआरए, इएक्सपी, आरईएफ, सीएलआई, डीएसआर और एयूडी माड्यूल के बहुत धीमे/आंशिक उपयोग को देखते हुए विभाग सभी माड्यूल की उपयोगिता की समीक्षा करे और प्रणाली को प्रयोगकर्ता के अनुरूप और परिणामोन्मुख बनाने हेतु बाधाओं को समाप्त करे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि माड्यूल के उपयोग के संबंध में चूँकि कई मॉड्यूलों का उपयोग बोर्ड द्वारा अनिवार्य नहीं बनाया गया है इसलिए इन माड्यूल का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। माड्यूल में आवश्यक संशोधन करने, और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद बोर्ड द्वारा माड्यूल का उपयोग अनिवार्य बनाया जाएगा ताकि प्रणाली प्रभावी और दक्ष तरीके से कार्य कर सके।

अध्याय-4: जागरूकता और मूल्यांकन

4.1 प्रशिक्षण

एसीईएस पर कार्य करने वाले मानव संसाधनों को प्रशिक्षण देने के लिए डीजी (प्रणाली) को एनएसीईएन (राष्ट्रीय अकादमी, केन्द्रीय उत्पाद एवं नार्कोटिक्स) के साथ छः शुरूआती पायलट स्थानों के अधिकारियों को प्रशिक्षकों केा प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए था। बदले में ये प्रशिक्षित प्रशिक्षक अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करते। इसके अलावा, विभागीय अधिकारियों को निर्धारितियों के लाभ हेतु डीजी (प्रणाली) ने एक लर्निंग प्रबंधन सॉफ्टवेयर (एलएमएस) बनाया है जो वेबसाइट पर किया जानेवाला एक सेल्फ लर्निंग एप्लीकेशन था और इसे सीडीज़ में भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

हमने 40 चयनित आयुक्तालयों से एसीईएस के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण पर जोर देने के संबंध में पूछताछ की। प्राप्त उत्तरों के आधार पर निम्नलिखित देखा गया:-

(i) छः आयुक्तालयों[18] में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था:

(ii) 26 आयुक्तालयों[22] में दिसम्बर 2009 से जून 2014 के दौरान 458 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और जिसमें से एसीईएस प्रशिक्षण हेतु हकदार 8,306 अधिकारियों में से केवल 3,280 अधिकारियों (39.49 प्रतिशत) को ही प्रशिक्षण दिया गया था।

---

[18] दिल्ली (एलटीयू), दिल्ली-।। (एसटी), कोलकाता -।। मुंबई (एलटीयू), रायपुर और रॉची

[22] अहमदाबाद (एसटी), इलाहाबाद, बैंग्लुरू-।, बैंग्लुरू (एलटीयू), बैंग्लुंरू (एसटी), भोपाल, भुवनेश्वर-।।, चंडीगढ़-।, चेन्नई (एलटीयू), कोयम्बटूर, दिल्ली-।। (सीएक्स), गुवाहाटी, हैदराबाद-।।, हैदराबाद IV, इंदौर, जयपुर-।, कानपुर, कोच्ची, कोलकाता-।, लुधियाना, मुंबई-। (सीएक्स), पटना, पुदुच्चेरी, रोहतक, सूरत-।। और विशाखापट्टनम-।

(iii) शेष आठ आयुक्तालयों ने सूचना नहीं प्रदान किया।

विभागीय प्रयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण न देना एसीईएस के अव्यवस्थित उपयोग के मुख्य कारणों में से एक है।

4.2 संगोष्ठियां/कार्यशालायें

यद्यपि प्रशिक्षण देने के अलावा संगोष्ठियां/कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन एसीईएस के उपयोग में निर्धारितियों/ विभागीय कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि करने और उन्हें सक्रिय करने के महत्वपूर्ण तंत्र में से एक था, हमने देखा कि न तो डीजी (सिस्टमस) ने और न ही विभाग ने एसीईएस में प्रयोगकर्ताओं को उन्मुख करने के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान दिया था।

चयनित आयुक्तालयों की नमूना जॉच के दौरान पता चला कि दिसम्बर 2009 से जून 2014 तक की अवधि के दौरान नौ कमिश्नरियों[20] द्वारा केवल 82 संगोष्ठि आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 18 कमिश्नरियों[21] में कोई संगोष्ठि एवं कार्यशालाएं आयोजित नहीं की गई थी जबकि 13 कमिश्नरियों[22] ने हमारे अनुरोध के बावजूद सूचना प्रदान नहीं की।

4.3 एसीईएस की कार्यप्रणाली

थिन क्लाइंट, एसीईएस के परिचालन हेतु मुख्य कनेक्टिीविटी हार्डवेयर था। चयनित सीडीआर्स के अभिलेखों की नमूना-जांच पर, हमने निम्नलिखित कमियां देखी:-

---

[20] बेंगलुरू (एसटी), भुवनेश्वर-।।, चण्डीगढ़-।, चेन्नई (एलटीयू), कोयम्बटूर, कोच्चि, कोल्हापुर, पुड्डुचेरी एवं पुणे-।

[21] अहमदाबाद (एसटी), भोपाल, दिल्ली-।। (सीएक्स), दिल्ली (एलटीयू), दिल्ली-।। (एसटी), गुवाहाटी, हैदराबाद-।।, हैदराबाद- IV, इंदौर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुम्बई-। (सीएक्स), मुम्बई (एलटीयू), पटना, रायपुर, रांची एवं रोहतक

[22] अहमदाबाद-।।, इलाहाबाद, बेंगलुरू-1, बेंगलुरू (एलटीयू), बोलपुर, चेन्नई -1 (एसटी), जयपुर -1, कोलकाता ।।, कोलकाता-1 (एसटी), मुम्बई-1 (एसटी), सूरत-।।, वरोदरा-।। और विशाखापटटनम-1

मार्च 2015 में डीजी (सिस्टमस) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, 1210 में से 1168 क्षेत्रीय गठनों में हार्डवेयर प्रतिष्ठापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि 1,168 में से 205 गठनों में हार्डवेयर प्रतिष्ठापित किया गया था परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया था।

हमने जब इसके बारे में बताया (अगस्त 2015) तो मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2015), कि डीजी (सिस्टमस) ने बोर्ड के अधीन सभी गठनों को पीसीज़ एवं एलएएन/डब्लूएएन सहित नई अवसंरचना के लिए मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिससे क्षेत्रीय गठनों द्वारा सामना की जाने वाली अवसरंचना संबंधी समस्याओं के समाधान होने की उम्मीद है।

4.4 श्रम घंटा बचत पर मूल्यांकन

एसीईएस नवम्बर, 2009 से लागू किया गया था तथा एसीईएस का उद्देश्य विभागीय प्रयोक्ताओं के श्रम घंटों को बचाना है जिनका प्रयोग वैकल्पिक उद्देश्य के लिया किया जाएगा। तथापि, चयनित सीडीआर्ज़ में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि न तो डीजी (सिस्टमस) ओर न ही कमिशनरियों ने अभी तक श्रम घंटों की बचत के पहलू पर कोई अध्ययन किया था। चयनित सीडीआर्ज़ में एसीईएस के कामकाज की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि केवल पंजीकरण, रिटर्न तथा एसीएल मॉड्यूल ही परिचालन में थे और इस प्रकार अधिकतर कार्य मानवीय रूप से ही किया जा रहा है न कि एसीईएस के माध्यम से।

जब हमने इसके बारे में बताया (सितम्बर 2014 तथा मार्च 2015 के बीच) तो मुम्बई (एलटीयू) तथा पुणे-। कमिशनरियों ने कहा (दिसम्बर 2014 तथा जनवरी 2015 के बीच) किसी भी श्रम घंटे/समय की बचत नहीं की गई थी। चेन्नई (एलटीयू) ने कहा (नवम्बर 2014) कि सभी मॉड्यूलों में कार्य के दोहरीकरण के कारण कार्यभार बढ़ गया है तथा एसीईएस की खराब कनेक्टिविटी के कारण कई श्रम घंटों की हानि हो चुकी थी।

जब हमने इसके बारे में बताया (अगस्त, 2015) तो मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि वे एसीईएस को निष्पादन सुधारने के लिए आवधिक सर्वेक्षण करने के लिए लेखापरीक्षा के साथ सहमत हैं।

4.5 प्रतिक्रियाएं

4.5.1 विभागीय प्रयोक्ता

विभिन्न पहलुओं पर विभागीय प्रयोक्ताओं की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली बनाई गई थी जैसे मानव-चलित प्रणाली की तुलना में कार्यभार कटौती, एसीईएस के विभिन्न कारकों की प्रयोक्ता अनुकूलता, प्रयोक्ता प्रशिक्षण की पर्याप्तता, विशिष्ट क्षेत्र जहां काम-काज में कठिनाई है, उपयोगकर्ता मार्गदर्शन साहित्य की गुणवत्ता और उपलब्धता तथा समस्त सन्तुष्टि स्तर आदि। प्रश्नावली 420 विभागीय प्रयोक्ताओं को चयनियत सीडीआरज़ में जारी की गई थी तथा 269 ने उत्तर दिया था। 269 विभागीय प्रयोक्ताओं में से 135 (50 प्रतिशत) ने निम्नलिखित कारण बताते हुए एसीईएस के बारे में सन्तुष्टि का कम स्तर व्यक्त किया:-

(i) मानवचालित प्रणाली की तुलना में समय की कोई विशेष बचत नहीं।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियां प्रयोक्ता की सुविधा अनुसार न होना।

(iii) नेमी कार्यों को करने में कठिनाईयां जो अन्यथा मानव-चालित प्रणाली में सुविधापूर्वक संचालित किए जा रहे थे।

(iv) परिचालन की बहुत धीमी गति।

(v) कनेक्शन ड्रॉप आऊट्स के साथ निरन्तर कनेक्टिविटी समस्याएं।

(vi) प्रयोक्ता मार्गदर्शिका विभागीय प्रयोक्ताओं द्वारा सामना किए जा रहे विशिष्ट नेमी मुद्दों का समाधान नहीं करती।

4.5.2 निर्धारिती

विभाग के साथ भौतिक टंटरफेस को घटाने, पारदर्शिता को बढ़ाने, प्रयोक्ता अनुकूल वातावरण प्रदान करने, कागज़ आधारित प्रस्तुतिकरणों/रिटर्नों के लिए कागज़ रहित विधियां प्रदान करने आदि में एसीईएस की प्रभावकारिता के बारे में पंजीकृत निर्धारितियों का स्वतन्त्र मत प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली बनाई गई थी। यह प्रश्नावली चयनित सीडीआर्ज़ में 543 निर्धारितियों को जारी की

गई थी तथा 279 से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई। ***सामान्यत: निर्धारितियों का यह मत था कि एसीईएस एक प्रयोक्ता अनुकूल प्रणाली है जो विभाग के साथ भौतिक इंटरफेस घटाने और कुछ हद तक पारदर्शिकता को बढ़ाने में सफल रही है।*** तथापि प्रतिक्रिया से निम्नलिखित विशिष्ट उदाहरण देखे गए है:-

क) बेंगलूरू में एक निर्धारिती ने कहा कि एसीईएस ने विभाग के साथ बातचीत नहीं घटाई।

ख) बेगलुरू में दो निर्धारितियों ने कहा कि यद्यपि साफ्टवेयर प्रयोक्ता अनुकूल है, तथापि सेवा क्षेत्र की इकाई के लिए इसकी उपयोगिता केवल रिटर्नें फाईल करने तक ही सीमित है और वहां भी उपलब्ध लॉग-इन-समय बहुत कम है। रिटर्न भरते समय, कई बार सिस्टम समय समाप्त का संदेश दे देता है और इसके कारण, अपेक्षित ब्यौरे दुबारा भरने पड़ते हैं जिसके कारण समय बरबाद होता है।

ग) बेंगलुरू में एक निर्धारिती ने कहा कि एसीईएस इंटरनेट एक्सप्लोरर 9.0 रूपान्तर पर काम नहीं करता और त्रुटिकोड 500 का संदेश देता है।

घ) बेंगलूर में दो निर्धारितियों का मत था कि अलग-अलग पृष्ठों पर चालान विवरण प्रविष्ट करने का चक्र समय घटाया जा सकता है। निर्धारितियों का यह भी मत था कि सहायता केन्द्रों की सुविधा पर्याप्त नहीं है।

ङ) मुम्बई में छ: निर्धारितियों का मत था कि यद्यपि एसीईएस प्रयोक्ता अनुकूल था, तथापि, एसीईएस में रिटर्नें अपलोड करते समय कनेक्टिविटी तथा गति के मुद्दें थे।

च) पानीपत में छ: निर्धारितियों ने कहा कि डॉटा को हस्त्य रूप से पंच करना पड़ता है और कॉपी पेस्ट सम्भव नहीं होता और उन्होंने यह भी कहा कि वे धीमी गति और कुछ ही समय के बाद समय समाप्त के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई बार एसीईएस का सर्वर त्रुटि को दर्शाने के बाद सूचना स्वीकार नहीं करता।

निर्धारितियों का सामान्य मत यह है कि एसीईएस प्रयोक्ता अनुकूल है हालांकि कुछ निर्धारितियों ने कनेक्टिविटी तथा एसीईएस का प्रयोग करने हेतु, लिए गए समय के संबंध में समस्याएं व्यक्त की।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि प्रयोक्ता प्रतिक्रिया के आधार पर स्थिति को सुधारने के सतत प्रयास किए गए हैं।

4.6 निष्कर्ष

(i) एसीईएस के कामाकज में रूकावट डालने वाले क्षेत्रों के अध्ययन के दौरान, यह एक समान टिप्पणी थी कि विभागीय प्रयोक्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण अपर्याप्त तथा अव्यवस्थित है। इसके अतिरिक्त, यह प्रकट हुआ कि निर्धारितियों को एसीईएस की समस्त सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं थीं तथा वे एसीईएस का प्रयोग मुख्यत: अनिवार्य कार्यों के लिए ही करते थे।

(ii) चयनित सीडीआरज़ में हमने देखा कि एसीईएस के रॉल ऑऊट के पाँच वर्ष से अधिक के बाद भी सिस्टम की विकास प्रक्रिया की प्रभावकारिता तथा प्रभावोत्पादकता तथा डीजी (सिस्टम) अथवा कमिश्नरी स्तर पर उसके वास्तविक प्रयोग के आंकलन हेतु एसीईएस की पश्च कार्यान्वयन समीक्षा नहीं की गई थी हालांकि यह एक मिशन मोड ई-प्रशासन परियोजना है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि डीएस द्वारा एसीईएस पर आवधिक समीक्षा बैठकें क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं, जहां सिस्टम की प्रभावोत्पादकता और किए जाने वाले सुधारों पर चर्चा की जाती है तथा उपचारी उपायों पर निर्णय लिए जाते हैं।

सिफारिश संख्या 7

विभाग को कर्मचारियों को आवश्यकता तथा योजना पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक सामरिक योजना बनानी चाहिए तथा निर्धारितियों के लिए जागरूकता संगोष्ठियां आयोजित करनी चाहिएं तथा समय-समय पर उनकी समीक्षा करनी चाहिए।

मंत्रलय ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2015) कि बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम की कवरेज को व्यापक बनाने के लिए लेखापरीक्षा की सिफारिश से सहमत है।

नई दिल्ली	**(हिमबिन्दु मुडुंबै)**
दिनांक:	**प्रधान निदेशक (सेवा कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली	**(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक:	**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

संकेताक्षर

एसीईएस	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन
एसी	सहायक आयुक्त
एसीएडब्लू	सहायक आयुक्त लेखापरीक्षा विंग
एसीएल	एक्सेस कंट्रोले लॉजिक
एडीसी	अतिरिक्त आयुक्त
एपीआर	लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर
एडब्लूडीआर	निर्धारिती-वार विस्तृत रिपोर्ट
एयूडी	लेखापरीक्षा
बीपीआर	व्यापार प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकी
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीसी	मुख्य आयुक्त
सीडीआर	कमिश्नरी, मंडल एवं रेंज
सीईएसटेएटी	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायधिकरण
सीएलआई	दावे तथा सूचनाएं
काम. एडमन	कमिश्नर प्रशासन
सीओडब्लू	मालगोदाम प्रमाण-पत्र
सीएक्स	केन्द्रीय उत्पाद
डीएआर	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
डीजी	महानिदेशक
डीजीएस	महनिदेशक, प्रणाली
डीजी (सिस्टम्स)	महानिदेशक, प्रणाली एवं डॉटा प्रबंधन
डीएसआर	विवाद निपटान संकल्प
ईओयू	निर्यात इकाई

ईएक्सपी	निर्यात
एचक्यू	मुख्यालय
एचआर	मानव संसाधन
आईपी	इंटरनेट प्रोटोकोल
आईडी	पहचान
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेसी	संयुक्त आयुक्त
जेसीएडब्लू	संयुक्त आयुक्त लेखापरीक्षा विंग
एलएएन	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एलएमएस	शिक्षण प्रबंधन सॉफ्टवेयर
एलटीयू	बृहद करदाता इकाई
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
एनएसीईएन	राष्ट्रीयअकादमी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नशीले पदार्थ
एनओसी	नोडल ऑपरेशन केन्द्र
ओआईओ	मूल आदेश
पीसी	पर्सनल कम्प्यूटर
पीआरए	अनन्तिम निर्धारण
पीवी	प्रत्यक्ष जांच
पी एडं वी	पर्सनल एडं विजिलेसं
आरसी	पंजीकरण प्रमाण-पत्र
आरईजी	पंजीकरण
आरईएफ	प्रतिदाय
आरईपी	रिपोर्ट
आरईटी	रिटर्न्स
आरएनसी	समीक्षा एवं सुधार

एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसआई	सिस्टम इंटिग्रेटर
एसआरएस	सॉफ्टवेयर मांगे विनिर्देशन
एसएसआई	लघु उद्योग
एसटी	सेवा कर
एसटीपी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
टीसीएस	टाटा कंसलटेन्सी सर्विसेज़
टीओटी	प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण
डब्लूएएन	व्यापक क्षेत्र नेटवर्क